लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३१, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXI, 1964/1886 (Saka)

[२९ अप्रैल से ६ मई, १९६४/९ से १६ वैशाख, १८८६ (शक)]

April 29 to May 6, 1964/Vaishakha 9 to Vaisakha 16, 1886 (Saka)

Preservation Unit
1-5-92
Fumigated
On 11.12.93
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६६ तक हैं)

(**Volume XXXI contains Nos. 61 to 66**)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड ३१—सातवां सत्र, १९६४]

अंक ६६—बुधवार, ६ मई, १९६४/१६ वैशाख, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५१०३–३०

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३२३	प्रादेशिक मुद्रण स्कूल	५१०३–०४
१३२५	उर्वरक कारखाने	५१०४–०६
१३२७	त्रि-भाषा सूत्र	५१०६–१०
१३२८	विदेशी विद्यार्थियों के लिये शिविर	५११०–१२
१३२९	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	५११२–१५
१३३०	यूनेस्को की सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थायें	५११५–१६
१३३१	सरकारी सेवायें	५११६–२१
१३३२	अंधे, बहिरे और विकलांग बच्चे	५१२१–२३
१३३३	संयुक्त सदाचार समिति	५१२३–२५

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
२५	खनिज रियायत नियम, १९४९	५१२५–२६
२६	राजस्थान, पंजाब और गुजरात में दुर्भिक्ष की स्थिति	५१२६–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर ५१३०–४५

तारांकित प्रश्न संख्या

१३२४	संसद्-सदस्यों के पत्रों का सेंसर किया जाना	५१३०
१३२६	प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी रूसी दल	५१३०
१३३४	निजाम का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी	५१३१
१३३५	गुजरात को गस का सम्भरण	५१३१
१३३६	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अनुदान	५१३१–३२
१३३७	शिक्षा आयोजन आयोग	५१३२
१३३८	संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था, न्यूयार्क	५१३२
१३३९	रासायनिक उर्वरक सन्यन्त्र	५१३३
१३४०	राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन	५१३३–३४
१३४१	पैट्रो-कैमिस्ट्री संस्था	५१३४–३५

*किसी नाम पर अंकित यह † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXXI Seventh Session, 1964]

No. 66—Wednesday, May 6, 1964/Vaisakha 16, 1886 (Saka)

Oral Answers to Questions 5103—30

*Starred Questions Nos.	Subject	Page
1323.	Regional Schools of Printing	5103–04
1325.	Fertiliser Factories	5104–06
1327.	Three-Language Formula	5106–10
1328.	Camps for Foreign Students	5110–12
1329.	Higher Secondary School Teachers	5112–15
1330.	UNESCO Aided Educational Institute	5115–16
1331.	Public Services	5116–21
1332.	Blind, Deaf and Orthopaedically Handicapped Children	5121–23
1333.	Sanyuki Sadachar Samiti	5123–25

*Short Notice Questions Nos.		
25.	Mineral Concession Rules, 1949	5125–26
26.	Famine conditions in Rajasthan, Punjab and Gujarat	5126–30

Written Answers to Questions 5130–45

*Starred Questions Nos.		
1324.	Censorship of Letters of M.Ps.	5130
1326.	Russian Team on Adult Education	5130
1334.	Heir-Apparent of Nizam	5131
1335.	Supply of Gas to Gujarat	5131
1336.	Grants to Delhi Higher Secondary Schools	5131–32
1337.	Educational Planning Commission	5132
1338.	U.N. Training and Research Institute, New York	5132
1339.	Chemical Fertilizer Plant	5133
1340.	State Education Ministers' Conference	5133–34
1341.	Institute of Petro-Chemistry	5134–35

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२८७१	उड़ीसा में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां	५१३४–३५
२८७२	नव-नालन्दा महाविहार . .	५१३५
२८७३	रूसी सर्कस . .	५१३५–३६
२८७४	उज्जैन में शिलालेख का मिलना . .	५१३६
२८७५	दिल्ली में खड़ी कारों में मद्यपान . .	५१३६–३७
२८७६	राजस्थान में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा . . .	५१३७
२८७७	पाण्डुलिपि क्रय समिति . .	५१३७–३८
२८७८	भारतीय अव्यवसायी खिलाड़ी संघ	५१३८
२८७९	बीकानेर में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी . .	५१३८
२८८०	डा० ए० वी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली .	५१३८–३९
२८८१	अपर डिवीजन क्लर्क . .	५१३९
२८८२	केन्द्रीय स्कूलों के लिये आदर्श पाठ्य-पुस्तकें .	५१३९
२८८३	बरहामपुर में प्राचीन हथियारों का मिलना . . .	५१३९–४०
२८८४	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त	५१४०
२८८५	प्रशिक्षित मिस्त्री और इंजीनियर . . .	५१४०
२८८६	अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिये दिल्ली में छात्रावास .	५१४१
२८८७	उड़ीसा में पाकिस्तानी जासूस का गिरफ्तार किया जाना .	५१४१
२८८८	आदिम जातीय भाषायें तथा पाठ्य पुस्तकें . . .	५१४१–४२
२८८९	उड़ीसा में नये कालिज	५१४२
२८९०	सार्वजनिक स्कूलों के लिये केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियां .	५१४२–४३
२८९१	दिल्ली में लड़कियों का अपहरण .	५१४३
२८९२	महात्मा गांधी जन्म शताब्दी . . .	५१४३
२८९३	पाकिस्तान से हथियारों का चोरी छिपे लाया जाना . .	५१४३
२८९४	चीनी दूतावास द्वारा आयोजित किये गये स्वागत समारोह .	५१४४
२८९५	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई	५१४४
२८९६	कालिजों और विश्वविद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में सैनिक शिक्षा	५१४४–४५
२८९७	वित्त पोषण करने वाले सार्थों का नाम 'काली सूची' में दर्ज किया जाना	५१४५
२८९८	स्कूल शिक्षा में कृषि की ओर झुकाव . . .	५१४५

अमोनियम क्लोराइड उर्वरकों के बारे में २२ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८४ के उत्तर में शुद्धि ५१४५–४६

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) . . . ५१४६—५१७६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ५१४६–५१, ७४–७६

(१) लगभग २०० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाना और पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ४०० नागा विद्रोहियों का नागालैण्ड में प्रवेश ५१४६–४९

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . . ५१४६–४७

श्री यशवन्तराव चव्हाण ५१४७–४९

Unstarred Questtions Nos.	Subject	Page
2871.	Post-Matric Scholarships to Backward Class Students in Orissa	5134-35
2872.	Nav Nalanda Mahavihara	5135
2873.	Russian Circus	5135-36
2874.	Stone Panel Found in Ujjain	5136
2875.	Drinking in Parked Cars in Delhi	5136-37
2876.	Compulsory Primary Education in Rajasthan	5137
2877.	Manuscripts Purchases Committee	5137-38
2878.	Amateur Athlete Federation of India	5138
2879.	Arrest of Pakistani Nationals in Bikaner	5138
2880.	D.A.V. Higher Secondary School, Rajinder Nagar, New Delhi	5138-39
2881.	U.D.Cs.	5139
2882.	Model Text Books for Central Schools	5139
2883.	Find of Ancient Arms in Berhampur	5139-40
2884.	Commissioner for S.C. and S.T.	5140
2885.	Trained Technicians and Engineers	5140
2886.	Hostel for International Students in Delhi	5141
2887.	Arrest of Pakistani Spy in Orissa	5141
2888.	Tribal Languages and Text Books	5141-42
2889.	New Colleges in Orissa	5142
2890.	Central Government scholarships in Public Schools	5142-43
2891.	Kidnapping of Girls in Delhi	5143
2892.	Mahatma Gandhi Birth Centenary	5143
2893.	Smuggling of Weapons from Pakistan	5143
2894.	Receptions held by Chinese Embassy	5144
2895.	Indian Institute of Technology, Bombay	5144
2896.	Military Science as Optional Subject in Colleges and Universities	5144-45
2897.	Black-listing of Financing Firms	5145
2898.	Agricultural Bias in School Education	5145

Correction of Answer to U.S.Q. No. 2384 dated 22-4-64 re : Ammonium Chloride Fertilisers. 5145-46

Re. Calling Attention—(Query) 5146-76

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance— 5146-51

1. Movement of about 200 Naga hostiles to wards East Pakistan and entry of about 400 Naga hostiles into Nagland 5146-49

Dr. L. M. Singhvi 5146-47

Shri Y. B. Chavan 5147-49

विषय	पृष्ठ
(२) नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर में कुछ गांवों का जलाया जाना	५१४९--५१
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	५१४९
श्री हाथी	५१४९--५१
(३) दिल्ली दुग्ध योजना की दूध संभरण-व्यवस्था का भंग होना	५१५१
श्री इन्द्रजीत गुप्त	५१५१
श्री अ० म० थामस	५१५१--५१७४--७६
काश्मीर पर चर्चा के बारे में	५१५१-५२
लोक-सभा के आगामी सत्र के बारे में वक्तव्य	
श्री सत्य नारायण सिंह	५१५२-५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५१५३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
कार्यवाही सारांश	५१५४
राज्य सभा से सन्देश	५१५४
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	५१५४
प्राक्कलन समिति	५१५५
तिरेसठवां प्रतिवेदन	
रूरकेला से गाजीपुर भेजे गये उर्वरकों के बारे में वक्तव्य	
डा०राम सुभग सिंह	५१५५
पूर्वी पाकिस्तान रेलवे के गार्ड के बारे में वक्तव्य	
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	५१५५-५६
दरगाह ख्वाजा साहेब (संशोधन) विधेयक	५१५७-६०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५१५७
श्री श्यामलाल सर्राफ	५१५७
श्री ही० ना० मुकर्जी	५१५७
श्री अ० सि० सहगल	५१५७-५८
श्री यशपाल सिंह	५१५८
श्री मोहसिन	५१५८
श्री काशी राम गुप्त	५१५८
डा० मा० श्री अणे	५१५८-५९
श्री हुमायून् कबीर	५१५९
खण्ड २ और ३	५१५९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५१५९
श्री हुमायून् कबीर	५१५९-६०

Subject	Page
2. Reported burning of some villages in Manipur by Naga hostiles; and	5149-51
Dr. L.M. Singhvi	5149
Shri Hathi	5149-51
3. Reported break-down of milk supply by Delhi Milk Supply Scheme	5151
Shri Indrajit Gupta	5151
Shri A. M. Thomas	5151,5174-76
Re. Discussion on Kashmir	5151-52
Statement re. next Session of Lok Sabha	
Shri Satya Narayan Sinha	5152-53
Papers Laid on the Table	5153
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
Minutes Laid on the Table	5154
Messages from Rajya Sabha	5154
President's Assent to Bill	5154
Estimates Committee—	
Sixty-third Report	5155
Statement re. Fertilisers despatched from Rourkela to Ghazipur	
Dr. Ram Subhag Singh	5155
Statement re. East Pakistan Railway Guard	
Shrimati Lakshmi Menon	5155-56
Durgah Khawaja Sahab (Amendment) Bill	5157-60
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	5157
Shri Sham Lal Saraf	5157
Shri H. N. Mukerjee	5157
Shri A. S. Saigal	5157-58
Shri Yashpal Singh	5158
Shri Mohsin	5158
Shri Kashi Ram Gupta	5158
Dr. M. S. Aney	5158-59
Shri Humayun Kabir	5159
Clauses 2 and 1	5159
Motion to pass, as amended	5159
Shri Humayun Kabir	5159-60

पृष्ठ

वक्फ (संशोधन) विधेयक ५१६१–६९

विचार करने का प्रस्ताव ५१६१

श्री हुमायून् कबीर ५१६१–६३

श्री गौरी शंकर कक्कड़ ५१६३

श्री मोहसिन ५१६३–६४

श्री यशपाल सिंह ५१६४–६५

श्री उ० मू० त्रिवेदी ५१६५–६८

खण्ड २ से २४ और १ पारित करने का प्रस्ताव . . ५१६८

श्री हुमायून् कबीर ५१६८–६९

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक . ५१६९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५१६९

श्री मेहरचन्द खन्ना . ५१६९–७३

श्री इन्द्रजीत गुप्त ५१७३–७४

श्री यशपाल सिंह ५१७४

श्री बाल्मीकी ५१७४

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के बारे में आध घंटे की चर्चा ५ ७७–७९

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ५१७७–७८

श्री कानूनगो ५१७८–७९

सभा का स्थगन ५१७९

Subject	Page
Wakf (Amendment) Bill	5161–69
Motion to consider	5161
Shri Humayun Kabir	5161–13
Shri Gauri Shankar Kakkar	5163
Shri Mohsin	5163–64
Shri Yashpal Singh	5164–65
Shri U. M. Trivedi	5165–68
Clauses 2 to 24 and 1	
Motion to pass	5168
Shri Humayun Kabir	5168–69
Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill	5169
Motion to consider, as reported by Joint Committee	5169
Shri Mehr Chand Khanna	5169–73
Shri Indrajit Gupta	5173–74
Shri Yashpal Singh	5174
Shri Balmiki	5174
Half-An-Hour Discussion re. National Productivity Council	5177–79
Dr. L. M. Singhvi	5177–78
Shri Kanungo	5178–79
Adjournment of House	5179

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, ६ मई, १९६४/१६ वैशाख, १८८६ (शक)

Wednesday, May 6, 1964/Vaisakha 16, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रादेशिक मुद्रण स्कूल

*१३२३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चार प्रादेशिक मुद्रण स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिये अर्हता-प्राप्त और अनुभवी शिक्षक नहीं मिल सक रहे हैं क्योंकि वहां उनके लिये पर्याप्त वेतन की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार दो स्कूलों को पूरे समय के कर्मचारी भरती करने में कठिनाई हो रही है।

(ख) संशोधित वेतन क्रम मंजूर किये जा चुके हैं और उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है ।

जहां तक सम्भव है, अंशकालिक शिक्षकों को स्कूलों में रख लिया गया है।

Shri Yaspal Singh : Which grade is being demanded by them at present and which grade is being given to them by Government ?

Shri Bhakt Darshan : I have no figures in this respect but the Central Government has raised the pay scales of Principals, Heads of Departments, Lecturers and Instructors.

Shri Yaspal Singh : Have the State Governments been consulted in this respect and if so, what is their reaction?

Shri Bhakt Darshan : Fifty percent expenditure of these printing Schools is borne by the Central Govt.. We have requested the State Governments to implement the new revised pay scales at the earliest.

Shri Sheo Narain : May I know the extent of increase effected in the existing pay.

Shri Bhakt Darshan : I have not got figures with me .

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know the extent of progress in the work of these four printing schools and the number of persons trained so far.

Shri Bhakt Darshan : I have not got figures with me regarding the persons trained so far, but work is proceeding satisfactory in all these schools.

Shri Sidheshwar Prasad : At which places, these printing schools are located, what are the difficulties there and what is the position regarding the availability of teachers?

Shri Bhakt Darshan : These four Schools are located at Madras-Bombay, Calcutta and Allahabad.

It is only in the Schools at Bombay and Allahabad that some difficulty is being experienced. As regards others, they are proceeding well. So far as teachers are concerned, they are not available.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the annual expenditure incurred by Central and State Governments on these schools and are the teachers satisfied with the increase in their pay scales?

Shri Bhakt Darshan : As regards the latter part of the question, I can't say whether they are satisfied or not. As regards expenditure, it is Rs. 9 lakhs non-recurring and Rs. 1,40, 000 recurring per year. Fifty per cent of this expenditure is met by the Central Govt.

उर्वरक कारखाने

*१३२५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री ८ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये दिये गये जिन लाइसेंसों का काफी समय व्यतीत होने पर भी उपयोग नहीं किया जा सका है, उनको रद्द करने के मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है; और

(ख) अपेक्षित वित्तीय और तकनीकी विदेशी सहयोग प्राप्त करने के मामले में इन लाइसेंसधारियों को सरकार क्या सहायता दे रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) एक व्यक्ति ने जिसे टूटीकोरिन में नाइट्रोजनेस उर्वरक कारखाना खोलने के लिए लाइसेन्स दिया गया था, इस बीच लाइसेन्स वापस कर दिया है। मंगलौर, दुर्गापुर और राजस्थान की परियोजनाओं के सम्बन्ध में, अब भी काफी संभावना है कि कुछ रद्दोबदल के बाद उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। इसलिए इन लाइसेन्सों को रद्द करना अभी फिलहाल रोक दिया गया है।

(ख) वित्तीय और तकनीकी सहयोग के लिए आवश्यक व्यवस्था करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसे लाइसेन्स मिला हुआ है। जब भी कभी किसी सहयोगी व नीति के किसी पहलू पर सरकार से जानकारी या स्पष्टीकरण मांगा, वह उसे दिया गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : विदेशी मुद्रा और विदेशी तकनीकी जानकारी की कमी के कारण फिलहाल कितने गैर-सरकारी लाइसेंसों को रोक दिया गया है और सरकार कब तक उनकी कठिनाइयां दूर करेगी ?

श्री अलगेशन : विजगापत्तम, कोठागुडम और गुजरात के तीन कारखानों ने कुछ प्रगति की है। तूतीकोरिन का एक लाइसेंस वापस कर दिया गया है। हनुमानगढ़ में, उन्होंने स्थान बदलने के लिए कहा है। दुर्गापुर के सम्बन्ध में, हम अब भी विचार कर रहे हैं। तकनीकी पहलुओं और जगह की उपयुक्तता के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

श्री रंगा : कोठागुडम के बारे में क्या है ?

श्री अलगेशन : मैंने बताया है कि इसी कारखाने ने कुछ प्रगति की है। उन्होंने विदेशी ऋण की व्यवस्था की है और वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग प्राप्त कर लिया है। जब कभी लोग हमसे पूछते हैं तो हम स्थिति स्पष्ट करते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल में अमरीकी व्यापारियों के एक दल के साथ हमारी इन्हीं विषयों पर बातचीत हुई थी। जहां तक मुझे मालूम हुआ है वे भारतीय पार्टियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ क्या : गैर-सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना खोलने के लिए ऋण के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर अभी हाल में हस्ताक्षर किये गये हैं; यदि हां तो कुल कितना अमरीकी ऋण मिलेगा और उस समझौते की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

श्री अलगेशन : हमें कोई सीधी जानकारी नहीं है लेकिन मालूम हुआ है कि विजगापत्तम पार्टी और उसके सहयोगियों ने अभी हाल में वाशिंगटन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। अमरीकी पार्टी लगभग २.८६ करोड़ रुपया लगायेगी और १२.८६ करोड़ रुपये का ऋण आयात निर्यात बैंक से प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है।

श्री मृधिया : चूंकि उर्वरक परियोजना के चालू करने के लिए कोठारी एण्ड संस को दिया गया लाइसेंस वापस कर दिया गया है, क्या तूतीकोरिन में वह परियोजना लागू करने का सरकार का कोई इरादा है ?

श्री अलगेशन : वास्तव में यह लाइसेंस शायद १९६१ में दिया गया था। यह दुःख की बात है कि वह पार्टी इस बीच कोई सहयोगी नहीं ढूंढ सकी और उसने अभी हाल में अपना लाइसेंस वापिस कर दिया। यदि उसने कुछ प्रगति की होती तो निश्चय ही तूतीकोरिन में वह कारखाना खड़ा हो जाता। माननीय सदस्य की बात पर हम विचार करेंगे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अधिक उत्पादन के महत्व को देखते हुए क्या सरकार ने इन लोगों को बताया है कि यदि एक निश्चित तारीख व अपनी शर्तें पूरी न करेंगे तो सरकार उसे अपने हाथ में ले लेगी।

श्री अलगेशन : कोरबा में एक पार्टी ने अपना लाइसेंस वापस कर दिया है और उसे हम अपने हाथ में ले रहे हैं। इसी तरह दुर्गापुर की परियोजना जिसे पश्चिम बंगाल सरकार अल्पसंख्यक सहभागी के रूप में शुद्ध करना चाहती थी, ठप्प हो गयी। उसने हमें उर्वरक निगम के अधीन उसे ले लेने के लिए कहा है। हम उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रंगा : क्या सरकार उन लोगों को जिन्हें लाइसेंस दिया गया है, इस बात के लिए मदद देने की कोई कोशिश कर रही है कि वे अपना वायदा पूरा कर सकें और परियोजना को आग बढ़ा सकें, या यह केवल इस बात की प्रतीक्षा करते हुए चुप बैठी है कि वे असफल हो जाएं और तब वह परियोजना को अपने हाथ में ले ले ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य एक अजीब बात कहना चाहते हैं। हम गैर-सरकारी पार्टियों को लाइसेंस देते हैं और यह आशा की जा ी है कि सारा प्रयत्न वे करें। हम उन्हें हर तरह से हमेशा देते हैं लेकिन सहयोगी आदि ढूंढना यह मुख्यतः उनका काम है। इसको ध्यान में रखना चाहिये।

श्री रंगा : यदि उन्होंने मदद दी होती तो तूतीकोरिन परियोजना कभी असफल न हुई होती।

Shri Onkar Lal Berwa : In Rajasthan adult education has been started on the basis of Village Panchayats and it has filed. I would like to know what Government is doing to encourage it.

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri **Humayun Kabir**): This question does not relate or adult education.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : पिछले अनभव को देखते हुए यह किस प्रकार निश्चित है कि उन कारखानों में उत्पादन शुल्क होने पर भी वे आयात किये हुए उर्वरकों के दाम से कम दाम पर उर्वरक तैयार कर सकेंगे ?

श्री अलगेशन : उर्वरकों की कीमतों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दो कीमतें होती हैं : एक तो वह जो उर्वरक तैयार करने वाले कारखानों को दी जाती है और दूसरी वह जिस पर संग्रह (पूल) उर्वरक बचता है। यह नाइट्रोजनस उर्वरकों के लिए लागू होता है। फास्फेटिक्स के लिए नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम कीमतों को कम से कम रख ी की कोशिश कर रहे हैं।

त्रि-भाषा-सूत्र

*१३२७. **श्री मुथिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये त्रि-भाषा सूत्र लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो जिन राज्यों में यह लागू नहीं किया गया है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) हिन्दी-भाषी और अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाएं कौन-कौन सी हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग). जी हां। सामान्यतया राज्यों ने यह सूत्र स्वीकार कर लिया है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे लागू किया गया है। राज्यों में इस सम्बन्ध में स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-२८७३/६४]**

श्री मुथिया : क्या हिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों में कोई दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : कुछ राज्य इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा विश्वविद्यालय में, दक्षिण भारतीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हो गयी है। वहां छात्रों के लिये विशेष कक्षाएं हैं।

श्री मुथिया : कौन-कौन सी दक्षिण भारतीय भाषायें पढ़ाई जाती हैं?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : वह जानकारी मेरे पास नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi What is the total number of those schools in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan where South Indian languages are taught ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : उन चार हिन्दी-भाषी राज्यों में से किसी में भी स्कूल-स्तर पर हिन्दी से अतिरिक्त भाषा चालू करने के लिए कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया गया है। वे तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत पढ़ा रहे थे लेकिन शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है, वह केवल प्राचीन भाषा है। इसलिए एक तीसरी गैर-हिन्दी भाषा शुरू की जानी चाहिये। लेकिन इन चारों राज्यों में किसी स्कूल में वह शुरू की गयी है या नहीं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री स्वैन : क्या यह सच है कि देश के अनेक लोगों के लिए खासकर मेरे जैसे गरीब पिछड़े आदिम जाति के लोगों के लिए, यह त्रिभाषा सूत्र नहीं वरन् चार भाषा सूत्र है? हमारे बच्चों को चार भाषाएं सीखनी पड़ती हैं—उनकी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा जिसे वह नापसन्द करते हैं, हिन्दी और अंग्रेजी?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : इसी कारण कुछ राज्यों में जहां एक या दो से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, अपने त्रि भाषा सूत्र को चार भाषाओं में बदल दिया है और बच्चों की आवश्यकता तथा उनकी क्षमता के अनुसार उच्चतर शिक्षा क्रम और उससे कम दर्जे के शिक्षाक्रम चालू किये हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In Punjab, there are two regions—a Punjabi region and a Hindi Region. How the three language formula would be introduced there?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : पंजाब में उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और पंजाबी शुरु की है। उर्दू भी हो गयी है क्योंकि वहां उसका प्रयोग किया जाता है।

Shri Kishan Pattnayak : Is it a policy of the Govt. to impose upon backward classes four languages instead of three?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : वह अनिवार्य नहीं है लेकिन प्राय: प्रत्येक राज्य में एक से अधिक मातृभाषा होती है । इसलिए त्रिभाषा सूत्र में चौथी भाषा जोड़ कर कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : वैकल्पिक विषयों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी या राज्य की भाषा ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : कुछ विशेष स्कूलों को छोड़कर जहां अंग्रेजी माध्यम रखा जाता है, प्रादेशिक भाषा माध्यम के रूप मे होगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार को मूल्यांकन समितियां नियुक्त करने का बड़ा शौक है और शिक्षा मंत्रालय अन्य मंत्रालय से पीछे नहीं रहता । तो क्या शिक्षा मंत्रालय इस बात की जानबीन करने के लिये कि यह त्रिभाषा सूत्र कहां तक सफल रहा है और उससे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, एक समिति नियुक्त करेगी ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : प्राय: सभी अहिन्दी भाषी राज्य अपने स्कूलों में हिन्दी को तीसरी अनिवार्य भाषा लेकर त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वित कर रहे हैं । लेकिन दूसरे राज्यों के स्कूलों मे हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये सरकार शत प्रति त मदद देने के लिये तैयार है । हम हिन्दी क्षेत्रों में गैर हिन्दी भाषा की पढ़ाई के लिये कुछ सुविधा यें देना चाहते थे लेकिन अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण से मालूम पड़ता है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ; वहां पहली भाषा हिन्दी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी संस्कृत है । जब वहां काफी बड़ी संख्या में बंगाली और मलयाली रहते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में काफी बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय भ हैं । इसलिए हिन्दी या उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत लागू करना अधिक सरल है । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसे हम ध्यान मे रखेंगे और मालूम करें कि उसे चौथी भाषा के तौर पर शुरू करना संभव है या नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह उन की मातृभाषा है । आप उन्हें हिन्दी सीखने के लिए बाध्य क्यों करती हैं ? मलयाली मलयालम सीखें और बंगाली बंगला सीखें ।

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : इसीलिए मैं कहा कि जिन लोगों की मातृभाषा हिन्दी से भिन्न है उन के लिए हम जानेंगे कि उनकी मातृभाषा लागू करना सम्भव है या नहीं ।

श्री नाथ पाई : विवरण से दिखाई पड़ता है कि अहिन्दी भाषी राज्यों मे त्रिभाषा सूत्र बड़ा ईमानदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है लेकिन हिन्दी भाषी राज्यों में इस बहाने के आधार पर उसकी उपेक्षा की जा रही है कि संस्कृत पढ़ायी जा रही है । इसलिए हिन्दी भाषी राज्यों को यह त्रिभाषी सूत्र ईमानदारी से कार्यान्वित करने के लिये राजी कराने के निमित्त सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : केवल इसी कल्पना से शिक्षा मंत्री सम्मेलन और राष्ट्रीय एकीकरण समिति की बैठक में यह कहा गया था कि संस्कृत तीसरी भाषा के रूप में न समझी जाये। इसलिये हम ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से धन देने के लिए कहा ताकि हम भाषायी शिक्षकों सम्बन्धी खर्च शत प्रतिशत पूरा कर सकें। हमें वह धन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इस बीच हम उन्हें इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि कुछ स्कूलों में वे अपने ही साधनों से तीसरी भाषा चालू कर दें।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि पंजाब के किसी दल ने यह घोषित किया है कि वे अपने बच्चों को त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पंजाबी कभी नहीं पढ़ने देंगे ; यदि हां तो इस बारे में सरकार क्या करने वाली है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : हमें उस बारे में मालूम नहीं है।

श्री कंडप्पन् : अहिन्दी भाषी राज्यों में छात्रों को यह समझाया जाता है कि केवल हिन्दी से ही उनका भविष्य सुरक्षित है जबकि हिन्दी भाषी राज्यों में ऐसा बिलकुल नहीं है। इसलिए सरकार ने इस मामले में क्या ठोस कदम उठाये हैं या उठाने वाली है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : वह ठोस कदम हिन्दी राज्यों में राष्ट्रीय भाषा केन्द्र चालू करना और अपने सेकेन्डरी स्कूलों में गैर-हिन्दी भाषाओं के शिक्षक नियुक्त करने की सुविधायें देना है। आशा है कि इसके लिए हम एक योजना निश्चित करेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप माननीय उपमंत्री को स्थिति के तथ्यों की अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने की सलाह देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी के अनुसार सलाह देता हूं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या यह सच नहीं है कि यह त्रिभाषा सूत्र मुख्यत: (१) मातृभाषा, (२) हिन्दी/और (३) अंग्रेजी चालू करने के लिये स्वीकार किया गया था ; यदि हां, तो यह किस प्रकार है कि अन्दमान में जहां पूर्व बंगाल के शरणार्थी बसे हुए हैं, बंगला को जो उन की मातृभाषा है, खतम कर दिया गया है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : जैसाकि मैंने बताया है, केवल बंगला ही नहीं बल्कि दूसरी भाषायें भी उनकी मातृभाषा हैं। चूंकि अब यह सवाल उठाया गया है, हम मालूम करेंगे कि वहां बच्चे गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा के तौर पर अपनी मातृभाषा सीख सकते हैं या नहीं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि त्रिभाषा सूत्र से छात्रों के दिमाग पर बहुत ज्यादा और निरर्थक बोझ पड़ता है और विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के शिक्षकों को प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है ; यदि हां, तो यह स्थिति दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमतीसौंदरम् रामचन्द्रन् : सरकार ने इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : लेकिन वह शिक्षकों का अभाव किस तरह दूर करेगी ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : जबकि यह राष्ट्रीय नीति निर्धारित की गयी है कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा हो, तब हिन्दी भाषी प्रदेश में राष्ट्रीय कीकरण के लिए लोगों को कम से कम एक अन्य भाषा, बोझ बराबर करने के लिये बल्कि अधिक समझदारी बढ़ाने के लिए, जाननी चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह कोई उत्तर नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि आप उत्तरी भारत में दक्षिण की प्रादेशिक भाषाए सिखाने के लिए गैर-हिन्दी भाषी शिक्षक किस प्रकार सप्लाई करेंगी ? इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में काफी बड़ी संख्या में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है । उसी तरह हिन्दी भाषी क्षेत्रों में काफी संख्या में गैर-हिन्दी भाषी शिक्षक उपलब्ध किये जायेंगे । इसलिए कठिनाई शिक्षकों की उपलब्धि की नहीं बल्कि धन की है जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ।

Camps for foreign students

*1328. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four camps for foreign students will be organised this year under the aegis of the Indian Council for Cultural Relations;

(b) if so, the names of the places where they will be organised;

(c) the number of students who will participate in these camps ; and

(d) the amount of money to be spent thereon by the Government of India through the above Council ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Two camps will be organised in Kashmir, one in Ooty whose participants will also visit Bangalore and Mysore and a fourth in Mussoorie.

(c) It is proposed to accommodate upto 60 students in each Camp.

(d) A sum of about Rs. 46,000/- is likely to be spent on these Camps by way of subsidy from the Council.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the names of the Universities which were members of the Board which took the decision about these camps.

Shri Bhakt Darshan : These Camps are not being organised by any Board. We have in our Country an autonomous body, called the Indian Council of Cultural Affairs, which is organising these Camps.

Shri Onkar Lal Berwa : Which games have been added in these camps by the Board and who has been authorised to give away the trophy ?

Shri Bhakt Darshan : These Camps are not meant for Games, but for a serious exchange of views.

Shri Onkar Lal Berwa : Four new games have been added and Raja Karan Singh has been authorised.....

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that there is no Board at all.

Shri Onkar Lal Berwa : Previously, there used to be two camps ; now the Board has made them four and four Universities are the members of the Board.

Mr. Speaker : He says there is neither any Board nor any game. The purpose is to have serious discussions. The very question is not correct. There is neither any game nor any Board.

Shri Onkar Lal Berwa : There used to be two Camps before this. Now the Board has made them four. Four Universities are represented in this Board and four new games, such as chess, cricket etc., have been added and Raja Karan Singh has been appointed to give away the trophy.

Mr. Speaker : The information given by the hon. Minister should be accepted or you come over to this side and he should be sent to the other side.

Shri Onkar Lal Berwa : What should we do when the supplementaries are not answered ?

Mr. Speaker : The only way out is that you come over to this side very soon.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know as to students of which countries have joined this camp. Are all the students allowed to join and, if so, the conditions thereof.

Shri Bhakt Darshan : These camps are intended to give an opportunity to foreign students studying in our country to get together, exchange views and reap mutual benefit. As stated earlier, their number has been restricted. Each camp will accommodate not more than 60 students.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had asked for the names of the Countries whose students have come there and the conditions laid for them.

Shri Bhakt Darshan : I do not have the names of those countries with me at present. But the foreign students studying in India are entitled to join these camps.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has stated that four camps would be organised and two of them in Kashmir. May I know whether these Camps would be organised in Kashmir despite the instability there after the release of Sheikh Abdullah as a result of the Government's weak policy and whether Government has considered that it may not lead to some ill consequences ?

Shri Bhakt Darshan : I will not touch upon the political aspect of this question but the camps in Kashmir are being organised from 15th May to 30th June. The information available with us so far does not indicate any difficulty in that.

श्री नाथपाई : भिन्न भिन्न देशों के भाग लेने वाले विद्यार्थियों के बारे में माननीय मंत्री का उत्तर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है । इस बारे में क्या वह अफ्रीका के विद्यार्थियों की ओर विशेष ध्यान देने की भारी आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं जिन में से एक विद्यार्थी ने हाल ही में कीनिया के एक समाचारपत्र में लिखा है कि उसके साथ जो व्यवहार किया गया वह प्रायः रंगभेदी व्यवहार

से भिन्न नहीं था तथा इसे देखते हुए क्या वह इस बात की भी आवश्यकता महसूस करते हैं कि इन शिविरों को इस तरह की धारणा को मिटाने तथा भारत का अधिक अच्छा चित्र प्रस्तुत करने के लिये इस्तेमाल किया जाय ?

श्री भक्त दर्शन : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे ।

डा० सरोजिनी महिषी : जिस तरह सरकार भारत में विदेशी विद्यार्थियों में सम्पर्क बढ़ाने का प्रयास कर रही है क्या उसी तरह विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों में भी भिन्न भिन्न देशों में सम्पर्क बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग सवाल है ।

श्री भक्त दर्शन : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि ये शिविर इस देश में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों के लिये ही हैं और उन में भारतीय विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया जाता है तो क्या इस से इन विद्यार्थियों की, विशेषतः अफ्रीकी विद्यार्थियों की, भारतीय जीवन, आदतों तथा रीति-रिवाजों से अनभिज्ञता और बढ़ नहीं जायेगी ?

श्री भक्त दर्शन : माननीय सदस्य का अनुमान ठीक हो सकता है ; परन्तु जहां तक मैं जानता हूं ये शिविर केवल विदेशी विद्यार्थियों तक ही सीमित हैं । यह एक तथ्य है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : माननीय मन्त्री ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री को जो उत्तर दिया है उसे देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि अब तक कई एक दल काश्मीर गये हैं, सारी घाटी का उन्होंने दौरा किया है और लौट आये हैं तथा कई और जा रहे हैं और इसे देखते हुए क्या माननीय मन्त्री निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये दल वहां जायेंगे और इन का कार्यक्रम पूरा चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह बता चुके हैं ।

श्री भक्त दर्शन : जो मैं बता ही चुका हूं उसे दोहराने की जरूरत नहीं है ।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

4

*१३२९. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक सेवा की अधिक अच्छी शर्तों सम्बन्धी अपनी मांगों के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से पर्याप्त समय से आग्रह करते रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि २१ अप्रैल, १९६४ को वे एक जलूस के रूप में संसद्-भवन तक आये थे और उन्होंने एक ज्ञापन पत्र पेश किया था जिसमें उनकी मांगें दी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) और (ख). जी हां

(ग) मांगों को ध्यान में रखा गया है।

Shri Yashpal Singh : How long will these demands remain noted ? Will these be accepted or not ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् :हम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और शिक्षा मंत्रियों के आधुनिकतम सम्मेलन में भी वहीं मांगों पर चर्चा की गई है, जो हमारे सामने उन्होंने रखी थीं। कुछ राज्य उन बातों को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी मांगों में उठाई हैं। केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों के अतिरिक्त व्यय का ५० प्रतिशत अंश दे रही है।

श्री म० ला० द्विवेदी : एक औचित्य प्रश्न है। प्रश्न में निश्चित रूप से पूछा गया है :

"यदि हां, तो उनकी मांगों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?"

मंत्री ने बताया है कि इन को ध्यान में रख लिया गया है। क्या इससे सरकार का इसका समर्थन का रुख मालूम होता है या इसके प्रतिकूल ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : इसी कारण मैंने इसका स्पष्टीकरण किया है।

अध्यक्ष महोदय : यही प्रतिक्रिया है ?

Shri Yashpal Singh : Is there any proposal to make uniform grades for teachers of Higher Secondary Schools ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : यह बहुत वांछनीय और बहुत उत्तम है कि न केवल सभी सरकारों में समान वेतन दर हों, बल्कि अन्य चीजें, अर्थात् सेवा की सुरक्षा, अन्य लाभदायक योजनाओं आदि का लागू किया जाना।

श्री रंगा : पेंशनें।

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : परन्तु प्रत्येक राज्य में अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये भी भिन्न भिन्न वेतन मान होते हैं। अतः उन में से कुछ राज्यों के लिये उस उच्चतम स्तर तक आना कठिन होगा, जो एक या दो राज्यों में हैं। परन्तु वे सब अब प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत से राज्यों ने वेतन मान बढ़ा दिये हैं। हम इस अतिरिक्त व्यय में ५० प्रतिशत दे रहे हैं।

श्रीमती रेण चक्रवर्ती : अध्यापकों की बहुत सी मांगें हैं अर्थात् समान राष्ट्रीय वेतन मान, गैर सरकारी अध्यापकों के लिये पेंशन की योजना, माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना, योजना आयोग की शिक्षा तालिका तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में अध्यापकों के संघों को प्रतिनिधित्व, जिनमें कि केन्द्रीय सरकार को कई चीजें करनी पड़ती हैं। हम जानना चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने इन चीजों को कार्यरूप में लाने के लिये क्या कार्रवाई की है।

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : जहां तक पहली बात का अर्थात् शिक्षा के समान ढांचे का सम्बन्ध है, यह प्रार्थनाओं में एक है, जिस पर बारबार बैठकों में विचार किया जाता है हालांकि सब जगह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा चालू नहीं की गई।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उनकी मांग उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना और योजना आयोग की शिक्षा तालिका एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में अध्यापकों के संगठनों को प्रतिनिधित्व दिये जाने की है। सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्: माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग का मामला हम ने विधि मंत्रालय को सौंप रखा है। हम ने कुछ सहायता के लिये वित्त मंत्रालय को भी कहा है और उन्होंने शिक्षा को वर्गोन्नत करने के लिये विशेष निधि का नियतन किया है। माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग के बारे में उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ।

सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मानों को समान बनाने के सम्बन्ध में, हम ने सभी राज्यों से ऐसा करने के लिये कहा है और कुछ राज्य सरकारों ने इसको कार्यान्वित किया है। कुछ राज्य सरकारों ने गैर-सरकारी स्कूलों में उन अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ा दिये हैं किन्तु उसी स्तर तक नहीं। हम अब भी पैरवी कर रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पेंशनों के बारे में क्या हालत है ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन् : एक तीन लाभ योजना भी है, जिसे कुछ राज्यों ने कार्यान्वित किया है। परन्तु हम अन्य राज्य सरकारों को वही करने के लिये प्रेरित कर रहे हैं और अतिरिक्त व्यय का ५० प्रतिशत पूरा करने के लिये उनको अनुदान देते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार का ध्यान कुछ ऐसे मामलों की ओर गया है, जिन में बहुतेरे सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों को बहुत कम दे कर उन से अधिक राशि की रसीदें ली जाती हैं, और यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : जब कभी शिकायतें की जाती हैं, पहले हम उनकी जांच करते हैं और कार्रवाई करने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : I want to know whether the question of teachers was discussed in the Conference of State Education Ministers held recently ? If so, what decision was taken in this matter, and if it was not discussed, will Govt. convene in the near future the meeting of State Education Ministers with a view to take an early decision in the matter ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : जी हां। विविध राज्यों के सभी शिक्षा मंत्रियों से, जहां गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान सरकारी स्कूलों के वेतन-मान के समान नहीं थे, प्रार्थना-की गई थी कि वे उनको बराबर करें और उन्होंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार माननीय शिक्षा मंत्री के इस विचार का समर्थन करती है कि जब तक शिक्षा को समवर्ती विषय नहीं बनाया जाता, उच्चतर शिक्षा की स्थिति को सुधारना या उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों की हालत को सुधारना संभव नहीं होगा, और यदि हां, तो इस विषय में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में क्या प्रगति हुई है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : कोई निर्णय नहीं किया गया।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय शिक्षा मंत्री का एक विचार था। क्या सरकार उससे सहमत है कि शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जाये ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : इसका फैसला राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में नहीं किया जा सकता । यह बड़ा प्रश्न है ।

श्री हेम बरुआ : राज्यों के मुख्य और शिक्षा मंत्रियों के कुछ पत्र भेजने के अतिरिक्त, जो रुख में कोई दृश्यमान परिवर्तन नहीं ला सके, क्या सरकार ने समस्त देश के लिये समान ढांचे के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा अध्यापकों की मांगों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समान माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाने के सम्बन्ध में मांग को पूरा करने के लिये क्या ठोस कार्रवाई की है ?

श्रीमती सौंदराम रामचन्द्रन : माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना का मामला विधि मंत्रालय को सौंपा जा चका है । समान वेतन के बारे में जो प्रश्न है, वह पृथक् प्रश्न नहीं है । यह अन्य सभी विभागों के लिये भी है । अतः हम उन को उस स्तर पर उठाने के लिये कह रहे हैं, जो अन्य राज्यों में है जहां माध्यमिक ग्रेड अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये गये हैं । अतः हम ने उनको यथासंभव अधिक से अधिक करने को कहा है ।

यूनस्को की सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थायें

*१३३०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में यूनेस्को की सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों के ५० प्रतिशत पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उन रिक्त स्थानों को भरने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो वे किस प्रकार भरे जायेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कुछ संस्थाओं में ही, जिनको यूनेस्को से सहायता मिलती है, कुछ पद ही खाली हैं ।

(ख) शिक्षा प्राप्त एवं अनुभवी कर्मचारियों का अभाव ।

(ग) जी हां ।

(घ) जब योग्य व्यक्ति उपलब्ध होंगे तो उपर्यक्त लोगों की भरती के द्वारा रिक्त स्थान पूरे किये जायेंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस कमी का कारण यह है कि भारतीय शिक्षित अध्यापक या विदेशी शिक्षा प्राप्त अध्यापकों की कमी है ?

श्री भक्त दर्शन : दोनों की कमी है ।

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि कुछ पद अभी भी खाली पड़े हैं, क्या यूनेस्को इन संस्थाओं को पूर्ण अनुदान दे रहा है या अनुदान को कम कर रहा है ?

श्री भक्त दर्शन : हम विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करके उच्च स्तर पर कमी को पूरा करने के लिये यूनेस्को प्राधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और मुझे इस प्रयत्न में सफल होने की आशा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि वित्तीय सहायता की बजाये कुछ संस्थाएं यहां विदेशी अध्यापकों को अध्यापकों के रूप में मांग रही हैं ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां, यह सच है ।

सरकारी सेवायें

*१३३१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रशासकीय सुधार समितियों ने यह बताया है कि सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उन के मनोबल में आम तौर से गिरावट आ रही है; और

(ख) इस के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). पीछे पेश की गई विविध रिपोर्टों की विस्तृत छानबीन, जिन का प्रशासनिक सुधारों से सम्बन्ध है, प्रशासनिक सुधारों के नये विभाग में आरम्भ कर दी गई है और यह काम पूरा होने के उपरान्त ही व्यापक उत्तर देना संभव होगा । तथापि इस समय भी कहा जा सकता है कि अधिकांश रिपोर्टों में सरकारी सेवाओं के स्तर एवं नैतिक स्तर में अपर्याप्तता का उल्लेख है और इस स्थिति को सुधारने के लिये सिफारिशें की गई हैं । इन न्यूनताओं का मोटा कारण यह है कि प्रशासन को जो उत्तरदायित्व सम्भालने पड़े हैं उनकी तेजी से वृद्धि हुई है । सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि इस समस्या पर प्रशासनिक सुधार का सामान्य समस्या के अंश के रूप में शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पारस्परिक समझौते के साथ दो सर्वाधिक गिराने वाली बातें हैं राजनीतिक दबाव और उन अफसरों के निहित स्वार्थ, जिनके हाथों में सत्ता शक्ति है । क्या मा० मंत्री ने कार्य भार सम्भालने के बाद इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इन दो बातों के बारे में विशेषकर क्या कारवाई की गई है ?

श्री हाथी : मैं बता चुका हूं कि विविध रिपोर्टों का सर्वेक्षण अमल किया गया है । एक रिपोर्ट राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार समिति की है, जिस के सभापति मा० सदस्य थे । उसने दो बातों का वर्णन किया है । मैं ने इन कारणों पर सोचा है जो उस तथा अन्य रिपोर्ट में दिये गये हैं । हमारे पास अन्य तथ्य आने के बाद हम इन प्रश्नों पर भी विचार करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या श्री नन्दा ने कार्यभार सम्भालने के बाद इन दो विशिष्ट बातों पर ध्यान दिया है और यदि हां तो क्या उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : हो सकता है कि साधारण तथा कहीं कहीं इस प्रकार का अवांछनीय प्रभाव चलता हो, या हो सकता है कि कुछ विशिष्ट मामले ऐसे हों जब कभी किसी विशिष्ट मामले की सूचना हमें मिलती हैं, हम निश्चय ही उस पर उचित ढंग से कार्रवाई करते हैं । जहां तक सामान्य प्रश्न का संबंध है, जो विभाग इस बात की

जांच कर रहा है कि पिछली विविध समितियों की रिपोर्टों में क्या कहा गया है और नवीन अध्ययन भी किया जा रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री कपूर आई० सी० एस० (पंजाब), और श्री ग्रेवाल आई० पी० एस० पंजाब और एक वरिष्ठतम आई० सी० एस० अफसर श्री मजूमदार के मामले हतोत्साहित करने के आदर्श उदाहरण हैं । एक वरिष्ठतम आई० सी० एस० छुट्टी पर जाए और उसको . . .

अध्यक्ष महोदय : मा० सदस्य व्यक्तिगत मामले नहीं उठा सकते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं अपनी बात का उदाहरण दे रहा था ताकि मा० मंत्री उत्तर दे सकें ।

एक वरिष्ठतम आई० सी० एस० अधिकारी छुट्टी पर जाता है और उस की तैनाती के आदेश नहीं मिलते छुट्टी से वापिस आकर दो महीनों तक । यदि ऐसी चीज गृह-मंत्री की छत्रछाया के नीचे हो होती हैं तो क्या वह ऐसे मामलों में लाचार अनुभव करते हैं या बीच में कोई और अड़चन है ?

श्री नन्दा : लाचारी का कोई प्रश्न नहीं है, केवल परिस्थितियों की सीमाएं होती हैं (**अन्तर्बाधाएं**) मैं उस का स्पष्टीकरण कर रहा हूं । आप तुरन्त प्रशासन में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकते । इसमें कुछ समय लगता है ।

जहां तक मामलों का संबंध है, उदाहरणार्थ अन्तिम मामले का यह कहना गलत है कि नियुक्ति के लिये कोई पेशकश नहीं की गई थी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं नहीं कहता कि पेशकश नहीं की गई । वह छुट्टी पर गया और वापिस आकर उपस्थित हुआ । परन्तु दो महीनों तक उसको कहीं तैनात नहीं किया गया ।

श्री नन्दा : जी नहीं । मैं ने स्वयं उस व्यक्ति को दूसरे मंत्रालय में सचिव के पद की पेशकश की, परन्तु वह उस के लिये तैयार नहीं था ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह सर्वथा भिन्न बात है । मैं नहीं कहता कि पेशकश नहीं की गई । मैं ने कहा है कि छुट्टी से फरवरी में लौटने के बाद, उसको नियुक्त नहीं किया और वह १५ अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गया । यह आप की छत्र छाया में हुआ ।

मैं ने श्री कपूर और श्री ग्रेवाल के मामलों का उल्लेख किया है । ये समूचे कर्मचारियों के नैतिक साहस को तोड़ने के लिये काफी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । इसको साधारण तरीके से उठाया जा सकता है, परन्तु यदि इस ढंग से उठाया जाता है तो यह उन लोगों के मामले का समर्थन करना होता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जी नहीं, ऐसी बात नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने साधारण तौर पर उत्तर दे दिया है । जब उन्होंने कहा कि निश्चित अवधि में नियुक्ति का आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो मंत्री ने उत्तर दिया कि उस को एक पद की पेशकश की गई और उसने उसे स्वीकार नहीं किया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने उत्तर नहीं दिया । १ ½ महीने तक उसको कोई नियुक्ति आदेश नहीं मिला ।

श्री रंगा : यही बात श्री कपूर के बारे में हुई । उसको पुनः मुअत्तिल कर दिया गया है । यह व्यक्तिगत मामला नहीं । ये दोनों बहुत ऊंचे अधिकारी हैं । इसका समूचे कर्मचारियों के नैतिक साहस पर कुप्रभाव पड़ेगा । श्री कपूर के मामला में वर्षों तक घोटाला रहा ।

अध्यक्ष महोदय : जिस ढंग से हम उनके व्यक्तिगत मामले की पैरवी कर रहे हैं।

श्री रंगा : दुख है कि हमें उनकी पैरवी करने से रोका जाता है । संसद को कुछ भी करने से रोका जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे किसी व्यक्तिगत मामले में दिलचस्पी नहीं । मैं कह रहा हूं कि ये दृष्टांत हैं जो समूचे कर्मचारी वृन्द को हतोत्साहित करेंगे, यदि ऐसी बातें होती रहीं ।

श्री जोकीम आल्वा : मा० मंत्री ने उत्तर दिया है कि तैनाती की पेशकश अस्वीकार कर दी गई ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : नहीं नहीं ।

श्री नन्दा : सबसे पहले ऐसी बात नहीं कि सचिवों के पद या उस प्रकार के पद खाली पड़े रहते है कि किसी भी व्यक्ति को तुरन्त वहां लगाया जा सकता है । इसमें कुछ समय लगता है । दूसरे जैसा मैंने बताया, पेशकश की गई थी । मैं विशिष्ट व्यक्ति के मामले में नहीं पड़ना चाहता । परन्तु वहां कोई इच्छा ऐसी नहीं थी कि—

श्री रंगा : हमारा मुंह किस प्रकार बन्द किया जाता है ।

श्री नन्दा : मैं नहीं समझता कि मा० सदस्य जिस बात का उदाहरण देना चाहते हैं, वह इस मामले से प्रमाणित होती है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत, वह भी दूसरे आई० सी० एस० अफसर हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं था, अब नहीं हूं । क्या यह सच नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में, दुर्भाग्यवश, बहुत से मंत्रियों के अन्दर विचार तथा क्रिया के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर हो गया है और वे उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचारों को यदि सक्रिय प्रश्रय नहीं देते, तो वह उन की जानकारी में होता है, और प्रधान मंत्री भी ऐसा करते हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि नैतिक एवं अप्रत्यिक मान्यताओं की उपेक्षा और अवहेलना की जाती है और किस सीमा तक ये बातें सामाजिक जीवन के आदर्शों में गिरावट तथा नौकरियों में हतोत्साहित करने के लिये उत्तरदायी रही है ?

श्री नन्दा : यह प्रश्न इतना व्यापक और अस्पष्ट है कि उत्तर देना संभव नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका यह अर्थ है कि वह उत्तर देने में असमर्थ हैं । परन्तु उनको किसी दिन जनता के समक्ष उत्तर देना पड़ेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की कुशलता को कम करने और उनके नैतिक साहस को गिराने में राजनीतिज्ञों द्वारा किये गये सक्रिय कार्यों के विशिष्ट प्रश्न को औपचारिक जांच करवाने के लिये तैयार है ?

श्री रंगा : अन्यथा, आप किस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं ?

श्री नन्दा : यह एक सरल धारणा बना कर उस पर किसी प्रकार का आरोप है, जिसको मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

श्री रंगा : उन्होंने ठोस सुझाव दिया है कि क्या सरकार उसके लिये तैयार होगी ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा उन्होंने कहा है, अधिक से अधिक, उन्होंने विशिष्ट सुझाव दिया है, अतः इसे सुझाव समझा जाए ।

श्री रंगा : उन को वैसा कहने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सुझाव है ?

श्री रामनाथन चेट्टियार : विविध अफसरों के संबंध में भिन्न २ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, इस को ध्यान में रखते हुए, जैसा क गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री, श्री हाथी ने पहले बताया है . . .

Shri Bagri : I. C. S. Officers must be caught. Have they got full liberty for illegal gratification ?

अध्यक्ष महोदय : संसद् में कुछ शिष्टाचार होना चाहिए । इसे बाज़ार नहीं समझना चाहिए ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : जैसा कि श्री हाथी ने हाल ही में राज्य-सभा में बताया कि विभिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा का जिक्र नहीं होना चाहिए ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मुझे खेद है, लोक-सभा में । मेरा तात्पर्य लोक-सभा से था ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या इस सभा में किसी प्रश्न को स्पष्ट करने के उद्देश्य से हमें मंत्रियों द्वारा दूसरे सदन में दिये गये वक्तव्यों का उल्लेख करने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मेरा निवेदन यह है कि यदि मंत्री ने वक्तव्य दिया है तो हमें उसका उल्लेख करने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई चीज प्रकाशित हुई है अथवा छपी है तो वे उसका जिक्र कर सकते हैं न कि इस बात का कि वहां पर क्या हुआ है। यदि वह बात प्रकाशित हुई है अथवा छपी है तो उसको निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

श्री नाथ पाई: जो कुछ वहां होता है वह प्रकाशित होता है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम उसी बात का उल्लेख कर रहे हैं जो दूसरे सदन में कही गई है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु छपी हुई अथवा प्रकाशित बात का उल्लेख किया जा सकता है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : हाल ही मे श्री हाथी ने लोक-सभा में जो कुछ कहा उस को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आई० सी० एस०, आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे कोई सामान्य नीति अपनाई जाती है ? पंजाब के सम्बन्ध में एक मामले में उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति-शान्ति । उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : जब तक मैं पृष्ठभूमि न बताऊं मैं बात को स्पष्ट नहीं कर सकूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत कठिन है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री नाथ पाई : तो क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि उन के कड़े उपायों की, जो असैनिक सेवा में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये आवश्यक हैं, विभागीय अध्ययन के लिए सिफारिश की जा सकती है ? यदि उत्तर नहीं में है तो वह सरकारी सेवा में नैतिकता और दक्षता की समस्त समस्या की जांच करने के लिये एक 'हूवर' जैसे आयोग की नियुक्ति का सुझाव अथवा विचार क्यों नहीं रखते, जिसका कि जनता के बड़े हिस्से से सम्बन्ध होगा ?

श्री नन्दा : मैंने पहिले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम इस प्रकार के प्रबन्ध पर विचार कर रहे हैं, परन्तु हमने यह विचार किया कि आयोग को सारा विषय देना अच्छा नहीं होगा । हम बहुत सी बातें कर सकते हैं । बहुत सी बातों का पता है और हम इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं यथासमय वह भी हो सकता है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : भूतकाल में इन समितियों अथवा आयोगों की स्थापना से फाइलों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाने में विलम्ब मे कितनी कमी हुई है ?

श्री नन्दा : मैं इस बात का आंकड़ों के रूप में उत्तर नहीं दे सकता मेरा निश्चय है कि सुधार हुआ है परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या मैं जान सकती हूं कि भ्रष्टाचार में बहुत कुछ कहना सुनना अधिकारियों की नैतिक गिरावट और उन के हौसले में कमी आने का एक कारण नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अपनी अपनी राय की बात है । अगला प्रश्न । श्री लीलाधर कटकी ।

श्री फ० गो० सेन: श्रीमन, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। सभा के इस ओर के सदस्यों का विचार है कि हमारी तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है मैं आप को दोषी नहीं ठहराता . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री लीलाधर कटकी ।

अंधे, बहिरे और विकलांग बच्चे

+

*१३३२ { **श्री लीलाधर कटकी** : **श्री ओंकारलाल बेरवा** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु के अंधे, बहिरे और विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में सरकार ने विभिन्न राज्यों में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक प्रवर्ग के ऐसे बच्चों की पृथक पृथक संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसे जिन बच्चों को इस समय शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार इस से अवगत है कि ऐसे भाग्यहीन, अन्धे, बहिरे और विकलांग बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है और यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाये तो वे अन्य बच्चों की भांति अच्छे नागरिक बन सकते हैं और यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : अंधे और अन्य प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण के संबंध में जनगणना आयोग से परामर्श किया गया है। यह असम्भव है। संसार में कहीं भी इस पैमाने पर जनगणना आयोग द्वारा आंकड़े इकट्ठे नहीं किये जाते क्योंकि न केवल विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की गणना ही सही नहीं हो सकती परन्तु उनकी श्रेणियों का हिसाब लगाना भी कठिन है। इसलिए कुछ नमूने के सर्वेक्षण, किये गये हैं और उन के आधार पर कुछ गणनाएं की गई हैं। कुकरे संबंधी सर्वेक्षण पहले ही आरम्भ कर दिया गया है और इससे अंधेपन के अधिक अनुपात का पता चलता है। ६ और १४ वर्ष के बीच की आयु के अन्धे बच्चे ४,४७,००० हैं ; बहरे, २,२३,५००, विकलांग बच्चे--श्रेणियों का पता लगाना कठिन है--४,४७,००० । महत्वपूर्ण बात जो है वह उनको रोजगार दिलाने की है। तीसरी योजना अवधि में हम प्रशिक्षण का यथासंभव अधिक विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम रोजगार दिलाने के साथ साथ चल सके ; उन्हें प्रशिक्षण देने और रोजगार दिलाने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं।

श्री लीलाधर कटकी : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध मे क्या म जान सकता हूं कि क्या सरकार इससे अवगत है कि असंख्य स्वयंसेवी संस्थायें इस कार्य को कर रही हैं और इन अभागे

बच्चों को प्रशिक्षण और शिक्षा दे रही हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन: कार्य का बड़ा भाग स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। सहायता देने के विभिन्न तरीके हैं : शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये सहायता १०० प्रतिशत दी जाती है यदि कोई संस्था स्कूल अथवा प्रशिक्षण केन्द्र चलाती है तो उसे ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती है।

डा० सरोजिनी महिषी : स्कूल जाने वाले बच्चों में रोहे के रोग अथवा इसी प्रकार के अन्य रोगों को दूर करने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक व्यापक रोहे नियंत्रण तथा उन्मूलन योजना बनाई गई है और मार्गदर्शी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में पहले से ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं ; और स्कल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी, जोकि व्यापक नहीं है, इसे प्राथमिकता दी जायेगी ।

महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या सरकार उन्हें अच्छे रहन सहन का आश्वासन देगी और उनकी शिक्षा के पश्चात काम दिलायेगी ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : जी, हां । विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित किये गये हैं। १० पहले से ही स्थापित किये जा चुके हैं और उनके द्वारा विशेषत: सरकारी उपक्रमों में रोजगार दिलाया जाता है। हम उन्हें ऐसा रोजगार दिलाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं जिससे उन्हें अधिक आमदनी हो। मैं मानती हूं कि इस दिशा में अधिक कार्य नहीं किया गया है क्योंकि नियोजकों से रोजगार दिलाना बड़ा कठिन है। परन्तु हम अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री इस से अवगत हैं कि इंगलैंड और अमेरिका में, जहां कि सही जनगणना की गई है ऐसे लंगड़े लूले और विकलांग बच्चे, १० प्रतिशत हैं, और उसके आधार पर इन बच्चों की संख्या २ करोड़ बनती है और यदि उत्तर हां में है, तो इन बच्चों के लिये निम्नतम शिक्षा की व्यवस्था के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या विशेष योजना बनाई गई है और इस संबंध में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या योजना बनाई जा रही है और कितना धन व्यय किया जायेगा ।

श्रीमती सौंदरम् रामच न : देश जिन में बहुत अधिक औद्योगिक प्रगति है ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि दुर्घटनायें भी बहुत अधिक होती हैं, परन्तु हमारे देश में एसे बच्चों की संख्या इतनी नहीं होगी। परन्तु फिर भी हम ने बहुत से स्कूल खोले हैं, और अभी हमे सारे स्कूल खोलने हैं। हमने हिसाब लगाया है कि हमे ६ और १४ वर्ष के बीच की आयु के २५ प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल में लाने के लिये, ५२ करोड़ रु० की आवश्यकता है। अत: यह एक वित्तीय कठिनाई है न कि योजना की कमी। अब हम अन्य तरीके अपना रहे हैं जैसेकि उन को स्कूल में आने के लिये ोत्साहन देने के लिए दिन के अधिक स्कूल खोलना। हम नियोजकों के द्वारा उन्हें सरकारी उपक्रमों ोजगार दिलाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। यदि एक या दो वर्षो मे हमें इन बातों से पर्याप्त लाभ नहीं होता, तो हम विधान बनाने मे हिचकिचायेंगे नहीं जैसाकि इंगलैंड और अमरीका के औद्योगिक रूप से विकासशील क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि इन विकलांग व्यक्तियों में से कुछ को उपयुक्त कामों पर लगाया जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणुका राय : माननीय मंत्री इस बात से अवगत होंगे कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान संस्था और अन्य ऐसी संस्थाओं ने सर्वेक्षण किये हैं जिन से पता चलता है कि प्रोटीन की कमी, जो स्कूल जाने वाले बच्चों मे अन्धपन का कारणहै, बढ़ती जा रही है और हाल ही में संख्या बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो इस को दूर करने के लिये मद्रास और अन्य राज्यों को छोड़ कर, वास्तव में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : मैं इन बातों से भली भांति अवगत हूं जिन की कमी अन्धेपन और अस्वस्थता को भी बढ़ाती है । इसलिए व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रमों को, लगभग २०० खंडों मे विशेषत: गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिये आरम्भ किया गया है । विकास खंडों के अतिरिक्त, स्कूल स्वास्थ्य बोर्ड जो कुछ कार्य कर रहे हैं उससे भी अधिक कार्य करेंगे । पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर भी जोर दिया गया है । कुछ राज्यों मे दोपहर के खाने के कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है । हम दूसरों को भी इस योजना को लागू करने के लिये मना रहे हैं । कुछ राज्य कम से कम दुग्ध संभरण योजनायें लागू कर रहे हैं । केवल ३ या ४ राज्य अभी बाकी रह गये हैं । हमें आशा है कि वे भी यह कार्य करेंगे ।

Shri Onkar Lal Berwa : Do these handicapped children under go the the same kind of course of studies as other children or apart from this they are imarted practical training or made to learn some works ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । बातचीत बहुत अधिक हो रही है ।

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : अभी तक अन्धे बच्चों को ज्यादातर पृथक स्कूलों मे शिक्षा दीजाती है, परन्तु अब हम एक या दो स्थानों पर प्रयोगात्मक रूप से साधारण स्कूलों मे अन्धे बच्चों को शिक्षा देने तथा उन का पथप्रदर्शन करने जा रहे हैं ।

बहिरे बच्चों को केवल पृथक स्कूलों में ही शिक्षा दी जाती है तथा विकलांग बच्चों क साधारण स्कूलों मे शिक्षा दी जाती है ।

संयुक्त सदाचार समिति

***१३३३. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी तत्वावधान में संयुक्त सदाचार समिति नाम की की एक संस्था स्थापित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि समिति का कार्यालय नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के निकट 'एम ब्लाक' में है और यह स्थान उसे भारत-सरकार द्वारा दिया गया है ; और

(ग) सदाचार समिति का विधान, गठन तथा कृत्य क्या हैं और संघ सरकार ने उसे किस प्रकार की मान्यता दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) (क) जी, नहीं । संयुक्त सदाचार समिति एक गैर-सरकारी संस्था है जिसमें सामाजिक और धार्मिक संगठन शामिल हैं और राष्ट्र की नैतिक प्रवृद्धि में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्ति शामिल हैं ।

(ख) जी, हां ।

इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : निषेधाज्ञा केवल सही मामलों में दी जाती है जहां कि प्रथम दृष्ट्या पुनरीक्षण का मामला जंचता है। केवल इसलिये अपने आप ही निषेधाज्ञा नहीं दी जाती कि एक पुनरीक्षण आवेदन-पत्र दायर किया गया है।

श्री रामचन्द्र उलका : क्या खनिज रियायत नियम, १९४९ के नियम ५९ के अन्तर्गत सहायता और निषेधाज्ञा के लिये आवेदन-पत्रों को निबटाने के लिये मन्त्रालय के सचिव के स्थानन्तरण के बाद कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब तक पुनरीक्षण याचिकाओं को निबटाने के लिये विधि सचिव और खान तथा खनिज के प्रभारी सचिव साथ बैठ कर निबटाया करते थे। परन्तु अब वे अन्य कार्यों में लगे हैं। इसीलिये उनके लिये यह काम पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है। अब हम दो पृथक् पदाधिकारियों को नियुक्त करने में के बारे में विचार कर रहे हैं, एक विधि मन्त्रालय में और एक मेरे मन्त्रालय में ताकि वे सभी बकाया आवेदन-पत्रों के निबटाये जाने तक कुछ समय के लिये इस पुनरीक्षण कार्य की ही देखभाल करते रहें।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार खानों के पदाधिक पट्टाधारियों की इस कठिनाई को महसूस करती है कि कई बार उनको अनुचित और असहानुभूतिपूर्ण स्थिति में काम करना पड़ा है और उनकी वास्तविक कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि कोई कठिनाइयां वास्तविक कठिनाइयां हैं, तो उन सब पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यह प्रश्न पुनरीक्षण याचिकाओं के निबटाये जाने के बारे में है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि गुजरात से कितनी पुनरीक्षण याचिकायें प्राप्त हुयी हैं राजस्थान से कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं और कितने मामलों में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

श्री तिम्मय्या : मैं राज-वार प्राप्त आवेदन-पत्रों के आंकड़े नहीं दे सकता लेकिन दिसम्बर, १९६३ तक लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या लगभग ७८२ है।

राजस्थान, पंजाब और गुजरात में दुर्भिक्ष की स्थिति

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २६.

श्री रंगा :
श्री म० ना० सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री ललित सेन :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री पू० चं० देवभंज :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, पंजाब और गुजरात में पानी तथा खाद्यान्न के सम्भरण के बारे में हो रही दुर्भिक्ष की स्थिति की, जिसका व्यक्तियों और ढोरों पर असर पड़ा है, नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) इन तीन राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों को और ढोरों को पानी का विशेष सम्भरण सुनिश्चित करने के लिये क्या आपातकालीन उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसर राजस्थान में कितने नलकूप मंजूर किये गये, कितने खोदे गये और कितने खोदे जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८७५/६४]** जहां तक विवरण के भाग (ग) का सम्बन्ध है, हम समूचे कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करना चाहते हैं और वर्ष १९६५–६६ के अन्त तक सभी २५० नलकूप बना देना चाहते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार सभी तीनों राज्यों के लिये एक स्थायी व्यवस्था करके इस समस्या का समाधान करेगी; यदि हां, तो इस व्यवस्था की मोटी रूपरेखा क्या है और यह व्यवस्था कब से लागू की जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह: हाल ही में मैं पंजाब गया था। मुझे यह भी पता है कि गुजरात में क्या हो रहा है। ये दो राज्य स्थिति को बड़ी कुशलता से संभाले हुए हैं। राजस्थान में कार्य बड़ी कुशलता से चल रहा है। वहां पर हम राजस्थान सरकार के सहयोग से हमारे अन्वेषणात्मक नलकूप डिवीजन द्वारा चलाये जा रहे वर्तमान निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त २५० नये नलकूप बनाना चाहते हैं। अतः इस समय इन अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई व्यवस्था करने का विचार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से प्रतीत होता है कि राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों में अभाव की स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में इस कठिनाई को दूर करने के लिये स्थायी मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये नियुक्त की गयी समिति की तरह, एक समिति नियुक्त करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : कठिनाइयों को हमेशा के लिये दूर करने के लिये ही हम कच्छ और अन्य कमी वाले क्षेत्रों में ५० नलकूप बना रहे हैं। राजस्थान में हम २५० नल-कूप बना रहे हैं। हम २००० कुंए खोद सकते हैं लेकिन जब तक २५० सफल नल-कूप नहीं बन जायेंगे, हम काम नहीं रोकेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाली समिति की तरह की समिति बनाने का इस समय प्रस्ताव नहीं है क्योंकि हमें स्थिति का पूरा पता है।

Shri Rameshwaranand : Does the hon. Minister know the number of cattle that died for want of fodder in the Haryana districts of Karnal, Rohtak, Hissar etc. and what is being done for them in future ? There is much shortage of fodder etc. for cattle.

Dr. Ram Subhag Singh : The question of cattle dying for want of fodder does not rise at present. Some fodder is available everywhere. Last time I visited a place in Bhiwani which may be called the desert area but I did not find any such condition even after going round fifteen or sixteen villages. Moreover, Shri Bagri was also with me. In strategic areas, fodder depots have been set up-one for a groups of five or seven villages. The people were ready to take fodder from there.

Shri Bagri : In connection with serious famine condition today in Panjab, Rajasthan and Gujerat, I would like to know from the hon. Minister whether Government propose to take some joint action to control this famine after holding a meeting of these three State Ministers so that such condition might not prevail again.

Dr. Ram Subhag Singh : As I said, I hold discussions with the Chief Ministers and the agriculture Ministers of these three States every week. We discuss the matter and implement the suggestions that are given by them. Our suggestions as also the suggestions of honourable Members of this House are implemented. It was not considered necessary to convene a formal meeting of all the three State Ministers we are jointly doing this work.

श्री रंगा : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने स्वयं इसमें रुचि ली है और इन क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय सरकारों को सुझाव दिये हैं । लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल पंजाब में इसका १,१६,००० लोगों और १ . ३० लाख पशुओं पर, गुजरात में १,४६३ गांवों और १४ लाख लोगों और १५ लाख पशुओं और राजस्थान में इससे भी अधिक लोगों और पशुओं पर इसका असर पड़ा है, क्या मंत्री महोदय यह देखेंगे कि उनको कम से कम सप्ताह में एक बार प्रगति रिपोर्ट मिले ताकि यह पता लग सके कि लोगों को जल-सम्भरण हो रहा है और पशुधन बर्बाद नहीं हो रहा ?

डा० राम सुभग सिंह: यह सावधानी हम बरत रहे हैं । जिन कुओं से भी पानी निकाला जा सकता है, उनको खोदा जा रहा है । हर कुएं से पानी निकालने के लिये हमने आदमी रखे हैं और हर व्यक्ति को हम १२/५० रुपये दे रहे हैं क्योंकि हम पानी निःशुल्क दे रहे हैं । इस गर्मी के मौसम में इसको बढ़ा कर २५ पये कर दिया जायेगा । पानी के ट्रक नियमित रूप से चलाये जाते हैं लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वे हर स्थान पर पहुंचते हैं क्योंकि प्रभावित क्षेत्र ३०,००० वर्ग मील है । हम यथासंभव अधिकाधिक क्षेत्र में जल-संभरण करने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : क्या सरकार इन राज्यों के लिये एक मरुभूमि विकास अधिकरण नियुक्त करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

डा० राम सुभग सिंह : बजट पर चर्चा का उत्तर देते समय मैंने यह कहा था । हमने तीनों वन मंत्रियों से कहा है । उन्होंने एक समिति बनाई है और वे इसका अध्ययन कर रहे हैं कि वन योजना को किस प्रकार अच्छी से अच्छी तरह लागू किया जाये । यदि आवश्यकता हुई, तो उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम आगे कार्यवाही करेंगे । हमारी एरिड ज़ोन अनुसंधान संस्था भी उस मरुभूमि क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और हम अपनी गतिविधि बढ़ायेंगे ।

Shri P. L. Barupal : Is it within the knowledge of the hon. Minister that the Muslims are sending their animals to Pakistan from the famine-affected areas of Rajasthan, which is situated adjoining Pakistan border? Is any action going to be taken to prevent this ?

Dr. Ram Subhag Singh : If the hon. Member gives a concrete example the action will be taken.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कृषि और वित्त मंत्रियों के उनके सहायक रवैये के प्रति हार्दिक आभाव प्रकट करते हुए मैं यह जान सकता हूं कि क्या उनका ध्यान स्वास्थ्य मंत्री के, जिन्होंने हाल में वहां का दौरा किया है, इन विचारों की ओर आकृष्ट किया गया है कि वहां पर जल-संभरण की स्थिति बड़ी खराब है ? क्या वे इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य का ध्यान राजस्थान के योजना मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर अवश्य गया होगा । उस वक्तव्य में सारी स्थिति बतायी गयी है और यदि कोई विशेष कठिनाई है, तो हम उसको दूर करने के लिये कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : वक्तव्य में कहा गया है कि राजस्थान सर्वाधिक पीड़ित है—लगभग ४०० गांवों और २० लाख लोगों पर प्रभाव पड़ा है। क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में अक्तूबर, १९६३ से अकाल की स्थिति चल रही है, जबकि शासक दल के सदस्यगण जयपुर में खुशियां मना रहे थे और दावतें उड़ा रहे थे; यदि हां, तो तब से क्या उपाय या कार्यवाही की गयी है? पिछले नौ महीनों से यह स्थिति है?

डा० राम सुभग सिंह : यह स्थिति केवल जुलाई, १९६३ में पैदा हुई और शासक दल के प्रयत्नों के कारण ही माननीय सदस्य ये आंकड़े दे सके हैं क्योंकि अब तक वे निद्रामग्न थे . . .

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न पर . . . (**अंतर्बाधा**) मैं उनकी इस बात का बुरा नहीं मानता कि हम सो रहे हैं। वे अधिक गहरी नींद में सोये हैं। मैं बुरा नहीं मानता लेकिन प्रश्न का . . . .

श्री रंगा : हम आलसी नहीं हैं। हमने उनको बधाई भी दी है। वह अच्छा काम करते हैं लेकिन जबान चला कर सब मिट्टी कर देते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : गैर-जिम्मेदाराना जबान का अधिकार केवल आप ही को नहीं है . . . . (**अंतर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिये।

श्री रंगा : यह उनकी ओर से शरू हुआ है और हम तो केवल उसका उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत द्वारा पूछे गये प्रश्न में भी कुछ बातें ऐसी थीं जो नहीं कही जानी चाहिये थीं।

श्री हरि विष्णु कामत : कृपया बतायें कि उसमें गैर-संसदीय शब्द कौन से थे? (**हंसी**) यह हंसी की बात नहीं है। तब वे दावतें उड़ा रहे थे और खुशियां मना रहे थे और अब हंस रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर देने का यह तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इन्हीं शब्दों पर आपत्ति है।

श्री हरि विष्णु कामत : जी, नहीं। सत्र के अन्तिम दिन मुझे आपके रवैये पर खेद है। हम एक गभीर मामले पर विचार कर रहे हैं। यह स्थिति ९ महीने पहले पैदा हुई थी। समाचार-पत्रों में यह सब कुछ है। वे दावतें उड़ा रहे थे और खुशियां मना रहे थे और वहां पर शराब की भी एक दुकान खोली गई थी। यह सब वहां तब हुआ जब कि गरीब लोग रोटी के टुकड़े के लिये चिल्ला रहे थे। अब वे कहते हैं कि हम सो रहे हैं। सरकार मरणासन्न है। समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह सरकार समाप्त होने वाली है . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या अब वह सतुष्ट हैं?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। यदि आप संतुष्ट हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि आप भी संतुष्ट नहीं हैं और मंत्री महोदय से ठीक उत्तर देने को कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त मेहता।

श्री जसवन्त मेहता : मंत्री महोदय ने बताया कि वह हर महीने राजस्थान, गुजरात और पंजाब से सरकारों से सम्पर्क कायम करते हैं और राज्य के मंत्रियों से बातचीत करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों में अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैंने बताया, हम गुजरात के कच्छ जिले में ५० नलकूप बना रहे हैं। प्रधान मंत्री ने अपने सहायता कोष से ५०,००० रुपये दिये हैं। हमने गुजरात सरकार से अपनी आवश्यकता बताने को कहा है। मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री ने मुझे बताया है कि वे स्थिति को संभाले हुए हैं और हमें इस समय चिन्ता नहीं करनी चाहिये। लेकिन जब भी उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी, वे सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने की सूचना। डा० सिंघवी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संसद्-सदस्यों के पत्रों का सेंसर किया जाना

*१३२४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने पुलिस अथवा गुप्तचर्या विभाग अथवा राज्य सरकारों को कोई ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि संसद्-सदस्यों द्वारा लिखे गये निजी पत्रों को डाकखानों में रोक कर गुप्त रूप से खोल कर पढ़ा जाया करे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : जी, नहीं।

प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी रूसी दल

*१३२६. **श्री रा० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने भारत के कुछ राज्यों का दौरा किया है ;

(ख) क्या अपने अध्ययन के परिणामस्वरूप उस दल ने भारत सरकार को अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) (क) जी, हां। यह शिष्ट-मण्डल रूस से आया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजाम का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी[1]

*१३३४. श्री पें० वैकंटासुब्बया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रिंस आफ बरार ने अपने पुत्र को हैदराबाद के निजाम के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने के विरुद्ध सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

गुजरात को गैस का संभरण

*१३३५. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के उद्योगों को गैस का सम्भरण करने के लिये सरकार ने हाल ही में प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार इनको कार्यरूप दिया जायेगा ;

(ग) गैस का वास्तविक सम्भरण कब किया जायेगा ; और

(घ) इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी, हां। यह निर्णय किया गया है कि गैस का संभरण पहले विद्युत् उत्पादन के लिये, फिर उवरक के लिये, फिर अन्य राज्य परियोजनाओं के लिये और फिर गैर-सरकारी उद्योगों के लिये किया जायेगा।

(ग) धुवारन बिजली स्टेशन को संभरण सितम्बर से किया जायेगा और उत्तरान बिजली स्टेशन को नवम्बर, १९६४ से किया जायेगा। गुजरात उर्वरक कारखाने को लगभग जून, १९६६ से, जबकि इसमें उत्पादन आरम्भ होने की आशा है, संभरण किया जायेगा। बड़ोदा में कुछ उद्योगों की आवश्यकताओं के लिये वर्ष १९६४ की अन्तिम तिमाही से सम्भरण किया जा सकता है।

(घ) कोई विलम्ब नहीं है क्योंकि संभरण उपभोक्ताओं की गैस-प्राप्ति की तैयारी के अनुरूप होगा।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अनुदान

*१३३६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिल्ली स्कूलों को जो अनुदान दिये जाते हैं उन का उन प्रयोजनों के लिये उचित रूप में उपयोग नहीं किया जाता जिन के लिये कि वे दिये जाते हैं ;

[1]Heir-Apparent

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जाती है, और यदि हां, तो क्या ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कायवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी, नहीं । जहां तक सरकार को पता है अनुदानों का उस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किया गया, जिसके लिये वे दिये गये थे ।

(ख) स्कूल के खातों का नियमित रूप से निरीक्षण और लेखापरीक्षा की जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा आयोजन आयोग

*१३३७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को की सहायता से भारत में एक शिक्षा आयोजन आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयोजन आयोग के उद्देश्य क्या होंगे ; और

(ग) क्या इस का सरकार के साथ कोई सम्बन्ध होगा, और यदि हां, तो, किस रूप में ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (ग). जी, नहीं । तथापि, यह निर्णय किया गया है कि भारत में शिक्षा के सभी पहलुओं की, कानूनी, चिकित्सा और प्रौढ़ शिक्षा को छोड़ कर, जांच करने के लिये एक जांच आयोग स्थापित किया जाये । इस आयोग में यूनेस्को और फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा भेजे गये प्रमुख विदेशी शिक्षा विशेषज्ञों के शामिल होने की आशा है ।

संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था, न्यूयार्क

*१३३८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था की स्थापना के लिये भारत से सहायता मांगी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किस रूप में तथा कितनी सहायता देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत ने संस्था की स्थापना और इस को चलाने पर ५०,००० डालर के नकद अंशदान की घोषणा की है ।

Chemical Fertilizer Plant

*1339. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement was signed on 23rd April, 1964 between India and America for setting up a large Chemical Fertilizer Plant in India ; and

(b) if so, the outline thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) and (b). No Sir.

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*१३४०. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में देश में माध्यमिक शिक्षा की एक समान पद्धति निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात् आगामी शिक्षा वर्ष में सभी राज्यों में समान रूप से अंग्रेजी की शिक्षा प्रारम्भ की जायेगी ?

शिक्षा मत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

विवरण

देश की स्कूल पद्धति में (१) राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का उत्थान करने ; (२) स्तर ऊंचा उठाने; और (३) संघ के विभिन्न राज्यों के बीच विद्यार्थियों और अध्यापकों के आने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिये एक प्रकार की समरूपता लाने को सर्वोच्च महत्व का समझना।

केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड की सिफारिशों और समय समय पर अखिल भारत निकायों द्वारा सुझाये गये सुधारों को क्रियात्मक ढंग से क्रियान्वित न किये जाने के फलस्वरूप स्कूल पद्धति के तरीके में व्यापक भ्रम और विभिन्नता को समझना।

शिक्षा मंत्री सम्मेलन में प्रस्ताव हुआ,

(१) कि सभी राज्यों में स्कूलों को एक समान स्कूल छोड़ने का स्तर अपनाना चाहिये।

(२) कि माध्यमिक अवस्था के अन्त में प्राप्त स्तर को भूतपूर्व ४ वर्षीय कालिजों के अन्तवर्ती स्तर का होना चाहिये जिस में उपयुक्त परिवर्तन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो।

(३) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व १२ वर्ष के स्कूल पाठ्यक्रम के लक्ष्य की ओर काय किया जाये, यद्यपि निकट भविष्य में इस योजना को सभी राज्यों में वित्त और जन-शक्ति के कारण क्रियान्वित करना संभव न हो सके।

(४) कि माध्यमिक स्तर पर समूची शिक्षा स्कूलों में पूरी की जाये ; विश्वविद्यालयों में अस्थायी तौर पर आरम्भ की गयी विश्वविद्यालय-पूर्व की कक्षा एक निर्धारित कायर्क्रम के अनुसार यथासंभव शीघ्र स्कूलों को हस्तान्तरित कर दी जाये।

(५) कि नये स्कूल स्वीकृत समान पद्धति के अनुसार खोले जायें।

(६) एक राज्य से दूसरे राज्य में विद्यार्थियों के आने जाने को सुविधा देने और स्कूल पद्धति में समरूपता को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल स्तर पर समान स्तर निर्धारित करने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जाये।

(७) कि हर राज्य वर्तमान स्थिति का अवलोकन करे और यथासंभव चौथी योजना के अन्त तक स्वीकृत आधार पर स्तर को प्रस्तावित ऊंचा उठाने के कार्य को पूरा करने के लिये प्रस्ताव तैयार करे।

(८) कि उपरोक्त स्कूल छोड़ने का समान स्तर प्राप्त करने के लिये सभी राज्यों को स्कूलों को ऊंचा उठाने के कार्यक्रम और स्कूलों को विश्वविद्यालय-पूर्व कक्षाओं के हस्तान्तरण के लिये केन्द्र द्वारा विशेष सहायता दी जाये।

(ग) इस बारे में सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

पेट्रो-केमिस्ट्री संस्था

*१३४१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पेट्रोकेमिस्ट्री संस्था स्थापित करने के लिये यूनेस्को ने २० लाख डालर के मूल्य के बराबर रुपयों का अनुदान देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून में एक पेट्रो-केमिकल डिवीजन स्थापित करने के लिये १,००४,१०० अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि में विचार हो रहा है।

उड़ीसा में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां

२८७१. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) अनुसूचित जातियों ; (२) अनुसूचित आदिम जातियों; और (३) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उड़ीसा में वर्ष १९६३–६४ में मट्रिक के बाद की कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ;

(ख) उसी अवधि में उड़ीसा से इन छात्रवृत्तियों के लिये कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया ; और

(ग) विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां किस तिथियों को दी गयीं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क)—

	(१) अनुसूचित जातियां .	४१०
	(२) अनुसूचित आदिम जातियां . .	३२१
	(३) अन्य पिछड़े वर्ग . . .	७९६
(ख)	(१) अनुसूचित जातियां . . .	४३६
	(२) अनुसूचित आदिम जातियां . . .	३५९
	(३) अन्य पिछड़े वर्ग	५४६१

(ग) छात्रवृत्तियां १८-९-१९६३ से ३१-३-१९६४ की अवधि के बीच ही गयीं ।

छात्रों का चयन और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्र उनको केवल धन देता है और इसकी शर्तें निर्धारित करता है ।

Nav Nalanda Mahavihara

2872. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 92 on the 12th February, 1964 and state :

(a) Whether Nav Nalanda Mahavihara and Hieun-Tsang Memorial Building Coordination Committee has since held any meeting ;

(b) If so, the recommendations thereof ; and

(c) If not, the reasons for delay ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter needs detailed study and the Committee will hold further meetings.

(c) Does not arise.

रूसी सर्कस

२८७३. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी सर्कस ने भारत में किन किन स्थानों पर अपने खेल दिखाये ;

(ख) हर स्थानों पर कितना धन संग्रह किया गया और कितना व्यय हुआ ;

(ग) सर्कस के कलाकारों को कितना धन दिया गया ;

(घ) भारत सरकार को कितना लाभ हुआ ; और

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने इन खेलों को मनोरंजन-कर से छट दी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और दिल्ली ।

(ख) हर केन्द्र से इकट्ठी की गयी कुल रकम निम्न प्रकार है :

बम्बई	५,१६,४८५.००
हैदराबाद	६८,४७६.२५
मद्रास	१,८१,४२५.५०
कलकत्ता	३,९६,३२०.००
कानपुर	१,८३,२६१.५०
दिल्ली	३,०६,८२०.००
कुल	१६,५८,७६१.२५

सम्बन्धित राज्य सरकारों से अभी व्यय के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) ५००० रुपये प्रति शो की दर से ३,४०,००० रुपये।

(घ) व्यय के आंकड़ों को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही लाभ निकाला जा सकता है।

(ङ) पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने इन प्रदर्शनों को मनोरंजन कर से छूट दी थी।

उज्जैन में शिलालेख का मिलना

*२८७४. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन में एक शिलालेख भूमि से निकाला गया है जिस पर संस्कृत में यह लिखा है कि कालीदास विक्रमादित्य के शासन-काल में उज्जैन में पैदा हुए और बढ़े, और

(ख) यदि हां, तो इस खोज का क्या ब्योरा है और इसका ऐतिहासिक मूल्य क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में खड़ी कारों में मद्यपान

२८७५. **श्री बूटा सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १३ अप्रैल, १९६४ के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "नगरावलोकन" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि "कनाट प्लेस में सायंकाल सड़कों पर कारों का खड़ा होना और उनमें लोगों का मद्यपान करना सामान्य दृश्य है" ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में कारों में मद्यपान पंडारा रोड़ जैसी नई दिल्ली की रिहायशी बस्तियों के बाजारों में भी फैल रहा है जहां कि कोई औरत सायंकाल बाजार जाने की हिम्मत नहीं कर सकती ;

(ग) क्या मद्यनिषेध कानून के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर कारों में मद्यपान की अनुमति है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको रिहायशी क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिये कानून में इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) दिल्ली में मद्यनिषेध कानून के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान अपराध नहीं है । तथापि, दिल्ली प्रशासन, बन्द बोतल के अतिरिक्त, किसी सार्वजनिक स्थान पर या गाड़ी में शराब रखने पर प्रतिबंद लगाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

राजस्थान में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

२८७६. **श्री तन सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्य सरकार ने वर्ष १९६३–६४ में कोई अनुदान मांगा ;

(ख) यदि हां, तो उसी अवधि में कितना अनुदान मंजूर किया गया ; और

(ग) उसी कार्य के लिये वर्ष १९६४–६५ में कितना अनुदान मंजूर किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पाण्डुलिपि क्रय समिति

२८७७. **श्री तन सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री १ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाण्डुलिपि क्रय समिति किस तिथि से काम कर रही है ;

(ख) सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है अथवा किया जायेगा ;

(ग) समिति द्वारा कितनी पाण्डुलिपियों के खरीदे जाने का परामर्श दिया गया है ; और

(घ) इनके क्रय पर व्यय की गयी धनराशि का क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) ४ फरवरी, १९६४ ।

(ख) से (घ). समिति ने अभी अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं । व्यय समिति द्वारा खरीदे जाने के लिये चुनी गयी पाण्डुलिपियों के स्वरूप पर निर्भर होगा ।

भारतीय अव्यवसायी खिलाड़ी संघ

२८७८ **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय अव्यवसायी खिलाड़ी संघ को कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है ताकि वह आगामी टोकियो ओलम्पिक में भाग लेने के लिये खिलाड़ियों का एक दल भेज सके ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : अभी तक कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी है ।

Arrest of Pakistani Nationals in Bikaner

2879. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that 27 Pakistani nationals have been arrested in Bikaner during the last three months ;

(b) Whether it is also a fact that Pakistani dacoits and three Pakistani Hindus are among those arrested ; and

(c) Whether any anti-Indian material has been recovered from them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) During the period from 1st January to 25th April 1964, one Pakistani national was arrested in Bikaner and 33 in Ganganagar.

(b) One of them is a Pakistani criminal, who was involved in a burglary case, and three are Hindus.

(c) No.

डी० ए० वी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

२८८०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली को दिया गया भवन निर्माण अनुदान स्कूल की इमारत के निर्माण पर इस्तेमाल किया गया, जिसका नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्कूल की कथित इमारत और भूमि के आवंटन को रद्द किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इमारत के निर्माण और सरकारी अनुदान के अपव्यय का जिम्मेवार कौन है और इस मामले में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

U.D.Cs.

2881. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be please to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1909 on the 18th December, 1963 regarding U.D.Cs. and state ;

(a) Whether a decision has since been taken in the matter ; and

(b) If not, how much more time is likely to be taken in taking a decision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir. It has been decided not to abolish the Upper Division Clerks' Grade.

(b) Does not arise.

Model Text Books for Central Schools

2882. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether it is proposed to prepare model text books under the Central Schools Scheme ; and

(b) If so, the broad outlines on which those text books would be based ?

The Deputy Minister in the Minsitry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) There is no such project under the Central Schools Scheme but the National Council of Educational Research and Training have a project for the preparation of text books for the primary and secondary classes.

(b) Generally the text books would be based on curricula constructed by the Panels of specialists after taking into consideration the existing curricula prescribed in the difierent States as well as the requirements of the subjects.

बरहामपुर में प्राचीन हथियारों का मिलना

२८८३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ब्रह्मपुर के रेशम-कीट पालन फार्म में प्राचीन आग्नेयास्त्र खोद कर निकाले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के हथियार पाये गये हैं ; और

(ग) यदि इसका पता लगा लिया गया है तो ये किस युग के हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) ब्रह्मपुर में कोई प्राचीन आग्नेयास्त्र खोद कर नहीं निकाले गये हैं।

(ख) और (ग). आग्नेयास्त्रों के भाग आधुनिक ढंग के लगते हैं और ये पुरातत्वीय महत्व के नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयुक्त

२८८४. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से १९६३-६४ का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) वर्ष १९६३-६४, अर्थात्, ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन ३० सितम्बर, १९६४ को राष्ट्रपति को पेश किया जायगा।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रशिक्षित मिस्त्री और इंजीनियर

२८८५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत-जर्मन वाणिज्य मण्डल, बम्बई द्वारा अप्रैल, १९६४ के जारी किये गये मासिक परिपत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उस मण्डल को भारतीय मिस्त्रियों और इंजीनियरों के लिये, जिन्होंने फेडरल जर्मन गणराज्य में विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उपयुक्त नौकरियों के अवसर ढूंढने के लिये असंख्य प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं। वे व्यक्ति अब भारत लौटना चाहते हैं परन्तु यहां उपयुक्त अवसर नहीं मिलते ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) मैंने परिपत्र को देखा है। इसमें ७ भारतीय व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो इस समय पश्चिम जर्मनी में हैं और जिन्हें रोज़गार के लिये उपलब्ध बताया गया है।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का राष्ट्रीय पंजीयक विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजीविज्ञों के नाम एक विशेष सेक्शन में दर्ज करता है और उनके लिये उपयुक्त नौकरी ढूंढने के लिये विभिन्न तरीकों से सहायता करता है। इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान १ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिये दिल्ली में छात्रावास

२८८६. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिये दिल्ली में एक छात्रावास का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो छात्रावास में कितने विद्यार्थियों के लिये रहने का प्रबन्ध होगा तथा उसमें अध्ययन के लिये किन सुविधाओं की व्यवस्था होगी ; और

(ग) छात्रावास स्थापित करने की कुल क्या लागत होगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) आरम्भ में इसमें १०६ छात्रों के आवास की व्यवस्था होगी । भोजन निवास और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।

(ग) अभी तक केवल इमारत का निर्माण ६,१६,५०० रु० की लागत से पूरा हुआ है ।

उड़ीसा में पाकिस्तानी जासूस का गिरफ्तार किया जाना

२८८७. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'समाज' कटक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिला सम्भलपुर (उड़ीसा) में एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया ;

(ख) क्या संबंधित व्यक्ति पाकिस्तानी अथवा भारतीय राष्ट्रजन है ; और

(ग) क्या उस व्यक्ति से कोई पत्र जब्त किये गये हैं जिनसे पता चलता है कि वह पाकिस्तान को रूरकेला में हुए हाल के दंगों के संबंध में जानकारी भेज रहा था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां । उस व्यक्ति को विदेशी व्यक्ति अधिनियम, १९४६ की धारा के अतिक्रमण करने के लिये गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) वह पाकिस्तानी राष्ट्रजन है ।

(ग) जी, नहीं ।

आदिम जातीय भाषायें तथा पाठ्य पुस्तकें

२८८८. श्री ह० च० सोय : क्या गृह-कार्य मंत्री गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के उत्तर के समय गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि आदिम जातीय अनुसन्धान संस्थाएं आदिम जातीय भाषाओं का अध्ययन कर रही हैं और कुछ राज्यों में उनकी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में बिहार, उड़ीसा, और मध्य प्रदेश में क्या प्रगति हुई है और इस मामले में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : नवीनतम स्थिति के बारे में राज्य सरकारों से पता किया जा रहा है और जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में नये कालिज

२८८९. **श्री मोहन नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में नये कालिज खोलने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रार्थना पर शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने क्या सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सार्वजनिक स्कूलों के लिये केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियां

२८९०. **श्री जैधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार योग्यता छात्रवृत्ति योजना (सार्वजनिक स्कूलों के लिये) के अन्तर्गत रियायत की राशि संरक्षकों के वेतनों पर निर्भर करती है, और यदि हां, तो विभिन्न आयों के लिये रियायत की राशि क्या है;

(ख) ये आर्थिक सीमाएं कब निर्धारित की गई थीं और वर्तमान देशनांक पहले के देशनांक की तुलना में कैसा है; और

(ग) क्या मूल्य के ऊंचे देशनांक को देखते हुए सरकार आय सीमाओं को पुनरीक्षित करना चाहती है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मों० दास) : (क) जी, हां । रियायत की राशि आय के अनुसार होती है जो कि निम्न है :-

श्रेणी–क	१,००० रु० प्रति मास और इससे अधिक आय	स्कूल की फीस से कोई छूट नहीं
श्रेणी–ख	७५० रु० और ९९९ रु० प्रति मास के बीच आय	स्कूल की आधी फीस से छूट
श्रेणी–ग	५०० रु० और ७४९ रु० प्रति मास के बीच आय	स्कूल की ३।४ फीस से छूट
श्रेणी–घ	३०० रु० और ४९९ रु० प्रति मास के बीच आय	स्कूल की फीस से पूरी छूट और वस्त्र भत्ता
श्रेणी–ङ	१५० रु० और २९९ रु० प्रति मास के बीच आय	जैसा कि श्रेणी घ में तथा यात्रा व्यय
श्रेणी–च	१५० रु० प्रति मास से कम आय	जैसा कि श्रेणी ङ में तथा जेब खर्च.

(ख) १९५९ में योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की राशि मूल्य देशनांक के आधार पर निश्चित नहीं की जाती ;

(ग) जी, नहीं ।

Kidnapping of girls in Delhi

2891. Shrimati Chavda : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of kidnapping of girls in the Capital during the period from 1st April, 1963 to 20th April, 1964; and

(b) the number of kidnapped girls recovered?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Hathi: (a) 79 cases involving 80 girls ;

(b) 65 girls.

Mahatma Gandhi Birth Centenary

2892. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards the suggestion of celebrating the Mahatma Gandhi Birth Centenary as a national festival ;

(b) if so, the programme chaleked or is being chalked out for that occasion ; and

(c) whether any scheme has also been formulated for holding the birth centenary celebrations in foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education Shrimati Soundaram Ramchandran) : (a) Yes Sir.

(b) and (c). No programme or scheme has been formulated so far. The matter is receiving attention in consultation with Gandhi Smarak Nidhi.

पाकिस्तान से हथियारों का चोरी छिपे लाया जाना

२८९३, **श्री पें० वैंकटासुब्बया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से हथियारों के चोरी छिपे लाने के एक षड्यंत्र का अमृतसर में पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी दूतावास द्वारा आयोजित किये गये स्वागत समारोह

२८९४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी आक्रमण आरम्भ होने के शीघ्र पश्चात् सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को ये हिदायतें जारी कीं कि उनको भारत स्थित चीनी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों पर उपस्थित नहीं होना चाहिये;

(ख) क्या इन हिदायतों की अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे स्वागत समारोहों अथवा इसी प्रकार के अन्य समारोहों में भाग लिया; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) यद्यपि अधिकारियों को कोई सामान्य हिदायतें जारी नहीं की गई थीं, फिर भी उनसे यह आशा रखी जाती थी कि वे ऐसे समारोहों में भाग न लें ।

(ख) चीन के लोक गणराज्य की स्थापना की १४वीं वर्षगांठ के अवसर पर १ अक्तूबर, १९६३ को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक अधिकारी ने चीनी दूतावास द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया ।

(ग) चूंकि सम्बन्धित अधिकारी ने इस गलती के लिये अपना सच्चा खेद प्रकट किया है, इसलिये भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिये उसे चेतावनी दे दी गई है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बम्बई

२८९५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री १५ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई के लेखे उनके लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों के साथ प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा २३ के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सभा पटल पर रखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन तारीखों पर; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, १९६१, १ अप्रैल, १९६२ से लागू हुआ था । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई के लेखों के सम्बन्ध में वर्ष १९६२-६३ का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हाल ही में महालेखा परीक्षक, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है ।

उसे संसद् के दोनों सदनों के सम्मुख रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

कालिजों और विश्व विद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में सैनिक शिक्षा

२८९६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कालिजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सैनिक शिक्षा को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सैनिक शिक्षा को विश्वविद्यालयों में अध्ययन के विषय के रूप में शामिल करने के प्रश्न पर जांच करने के लिए एक समीक्षा समिति नियुक्त करना चाहता है और इस प्रयोजन के लिए उसने विश्वविद्यालयों से अवर स्नातक और/अथवा स्नातकोत्तर स्तरों पर सैनिक शिक्षा पर पाठ्यक्रम की प्रति देने के लिए कहा है जिससे कि यह जाना जा सके कि क्या यह विषय विश्वविद्यालयों द्वारा पहिले से लागू किया गया है; यदि नहीं तो उनको समीक्षा समिति, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तर प्राप्त होने पर नियुक्त की जायेगी, के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है ।

वित्त पोषण करने वाली सार्थों का नाम काली सूची में दर्ज किया जाना

२८९७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस स्थापना ने सरकार को यह सिफारिश की है कि दिल्ली की कुछ वित्त पोषण करने वाली सार्थों के नाम 'काली सूची' में दर्ज किये जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सम्बन्धित सार्थों की संख्या और नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है और सार्थों के नाम बताना अथवा यह बताना कि विशेष पुलिस स्थापना ने किन कारणों से सार्थों के नाम 'काली सूची' में दर्ज करने की सिफारिश की है, उचित नहीं होगा ।

स्कूल शिक्षा में कृषि की ओर झुकाव

२८९८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा कृषि की ओर झुकाव लानें का विचार है;

(ख) यदि हां, प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस पर राज्य सरकारों की राय प्राप्त कर ली गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) शिक्षा मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अमोनियम क्लोराइड उर्वरकों के बारे में २२ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८४ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U.S.Q. NO. 2384 DATED 22-4-64 RE : AMMONIUM CHLORIDE FERTILIZERS

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): अमोनियम क्लोराइड उर्वरकों के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या २३८४ के भाग (ख) के उत्तर में २२ अप्रैल, १९६४ को

मैंने सभा में बताया था कि साहू कैमिकल्स सोडा ऐश फैक्टरी, वाराणसी अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन 'कृष्टल' के रूप में कर रही है । यह जानकारी सार्थ के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी ।

बाद में कम्पनी ने सूचना दी है कि इस समय अमोनियम क्लोराइड पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है जब तक कि उनका 'ग्रेनुलेशन' संयंत्र चालू नहीं हो जाता । तथापि तकनीकी राय के अनुसार अमोनियम क्लोराइड को पाउडर के रूप में पौधों पर लगाने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो सकता बशर्ते कि इसे उचित ढंग से लगाया जाये । अतएव मैं निवेदन करता हूं कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाये :—

(ख) उत्पादन पाउडर के रूप में होता है परन्तु यह पौधों के लिए हानिकारक नहीं है यदि इसे उचित रूप से लगाया जाये ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : लगभग १०, १२ दिन पहले २०० नागा विद्रोहियों के पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ने के बारे में मैंने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी : अब वह पूर्वी पाकिस्तान में जा कर वहां से गोला-बारूद ले कर वापस आये हैं तब इस ध्यान दिलाने वाली सूचना को लिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उस समय उत्तर दे दिया गया था कि वह उन पर नजर रख रहे हैं । वर्तमान ध्यान दिलाने वाली सूचना लगभग २०० नागा विद्रोहियों के पूर्वी पाकिस्तान जाने और वहां से ४०० विद्रोहियों के नागालैंड प्रवेश करने के बारे में है ।

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(१) लगभग २०० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाना और पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ४०० नागा विद्रोहियों का नागालैंड में प्रवेश

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"लगभग २०० नागा विद्रोहियों का कथित पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाना और लगभग ४०० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान से नागालैंड में प्रवेश ।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने वाले नागा विद्रोहियों के गिरोह के नेता यथतो सेमा हैं जो स्वयं अपने आप ही "मेजर जनरल" बन गये हैं। इस गिरोह ने पहले अक्तूबर, १९६३ ; और फिर जनवरी, १९६४ में पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाना आरम्भ किया। एक अन्य गिरोह ने भी जनवरी १९६४ में दक्षिण की ओर जाना आरम्भ किया। मनीपुर में यह दोनों गिरोह मिल कर दक्षिण-पश्चिम की ओर जाने लगे। सुरक्षा सेना ने इन्हें रोका और तितर-बितर कर दिया, परन्तु इनमें से १५० व्यक्ति बर्मा जाने में सफल हो गये और यह १५० विद्रोही भारतीय सीमा के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं।

इनके अतिरिक्त ४०० नागा विद्रोही जो शायद अक्तूबर, १९६३ में पूर्वी पाकिस्तान गये थे, वहां से गोला बारूद ले कर लौट रहे हैं। उनके पास लटाई मशीनगनें, स्टन गनें, राइफलें और अन्य प्रकार का सामान है। इनका नेता दुसाय चाकेसंग है जो स्वयं अपने आप को "जनरल" कहता है। यह गिरोह ८ अप्रैल, १९६४ को नागालैंड, बर्मा, पहुंच कर दो भागों में बंट गया और उसका २०० विद्रोहियों का एक भाग बर्मा के जरिये मनीपुर के उखरूल सब-डिवीज़न में प्रवेश कर गया। इस गिरोह का दूसरा भाग २० अप्रैल को ज़माई, जिला कोहिमा, पहुंच गया। इसके फुलामी की ओर जाने की आशा थी।

नागालैंड क्षेत्र में सुरक्षा सेना तैनात की गई है ताकि इन गिरोहों को रोका जाय और नष्ट किया जाय। परन्तु चूंकि यह क्षेत्र पहाड़ी है और वहां पर घने जंगलात भी पाये जाते हैं इसलिये सेना को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई पड़ रही है। एक कठिनाई यह है कि वह गिरोह ४, ४ और ५, ५ के छोटे छोटे दलों में न बंट जाय। दूसरे, उस क्षेत्र में छिप कर रहना सम्भव है। तीसरे, सुरक्षा सेना के लिये एक वफादार और विद्रोही नागा में भेद करना कठिन हो जाता है। इसके बावजूद भी यह विदित है कि नागा विद्रोहियों के आने जाने में सुरक्षा सेना की कार्यवाहियों के कारण काफी रुकावट पड़ी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : वफादार नागाओं और विद्रोहियों में भेद करना क्या इसलिये कठिन है कि वफादार नागा भी हथियार रखते हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वह हथियारों को छिपा देते हैं और अवसर मिलने पर उन्हें ले लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ने जो बात कही उसमें काफी सच्चाई है। ध्यान दिलाने वाली सूचना का मतलब ही यह है कि इसका विषय अविलम्बनीय प्रकार का है। माननीय मंत्रियों को चाहिए कि जब भी उन्हें इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना दी जाय वह यथासम्भव शीघ्र राज्यों से जानकारी प्राप्त करके उसे सभा के समक्ष रखें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि ऐसी विद्रोहात्मक गतिविधियां पाकिस्तान की सहायता से की जाती हैं, और इन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बात तो स्पष्ट है कि उन्हें पाकिस्तान की ओर से प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें हथियार भी पाकिस्तान देता है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने केवल अपनी ओर से नागा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी बन्द कर दी है और प्रधान मंत्री ने इस बारे में जिस नीति की घोषणा पहले की थी क्या यह एकपक्षीय कार्यवाही उस नीति के प्रतिकूल नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनके विरुद्ध कार्यवाही बन्द नहीं की गयी । हम एकपक्षीय कार्यवाही नहीं कर सकते । शांति मिशन की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि नागा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही बन्द की जाय । वह सुझाव मंत्रालय के विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों को दिये जाने वाले हथियार साम्राज्यवादियों द्वारा पाकिस्तान को दिये जाते हैं और फिर पाकिस्तान द्वारा नागाओं को?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट है कि सरकार को नागा विद्रोहियों की गतिविधियों और उनके हथियारों आदि के बारे में सब जानकारी थी । इसके बावजूद भी उन्हें क्यों रोका नहीं जा सका ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनकी गतिविधियों के बारे में तो हमें सूचना मिल जाती है परन्तु उन्हें खोज निकालना ही कठिन है ।

श्री स्वैल (आसाम–स्वायत्तशासी जिले) : आसाम के एक मंत्री ने पिछले दिनों में कहा कि नागालैंड को भारत में एक विशेष स्थान देने के बारे में विचार किया जा रहा है । क्या यह बात सही है कि उसी के कारण विद्रोहियों ने सरकार पर दबाव डालने के लिये अपनी गतिविधियां अधिक तीव्र कर दी हैं ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हम ने समाचारपत्रों में यह खबर पढ़ कर सम्बद्ध मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह खबर गलत थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : क्या पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजा गया है कि नागाओं को हथियार देना इस देश के प्रति विरोध की कार्यवाही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस विशेष मामले में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी चूंकि हम महसूस करते हैं कि हमारे अपने देश के लोग वहां हथियार लेने जाते हैं । एक विरोध-पत्र पाकिस्तान को अवश्य भेजा जायगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने कहा कि अब विरोध-पत्र भेजा जायगा, परन्तु पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : सरकार ने पाकिस्तान का ध्यान इस की ओर दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ? नागाओं को हथियार देना क्या हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बराबर नहीं है ? क्या इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के समक्ष नहीं ले जाया जायगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी हमारा विचार पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का ही है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : दस वर्ष तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। अब जब कि उनके पास हथियार हैं और वह अधिक प्रशिक्षित भी हैं, उनका मुकाबला करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अब तो स्वयं नागा विद्रोही और वहां के अन्य लोग इन गति-विधियों और तनाव की स्थिति से तंग आ चुके हैं और वह चाहते हैं कि शांति स्थापित होनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ : . . . *

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मंत्री महोदय ने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री हेम बरुआ : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि . . . . **

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायगा। माननीय मंत्री को यदि कुछ और कहना है तो कहें।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं तो सब कुछ भूल गया हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : एक औचित्य का प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय अब कह सकते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा उसे वह भूल गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई असम्भव बात नहीं है। बीच में हस्तक्षेप किये जाने पर वह भूल भी सकते हैं। इसीलिये मैं ने उन्हें कहा है कि याद कर लें और अपनी बात को चाहें तो पूरा करें।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नागालैंड हमारे देश का ही एक राज्य है इसलिये यदि हम इस समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से निबटा सकें तो उस में कोई बुराई नहीं है। इस सिलसिले में हम कार्य-वाही कर रहे हैं।

(२) नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर में कुछ गांवों का जलाया जाना

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"हाल ही में नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर में कुछ गांवों का कथित जलाया जाना।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अभी हाल में नागा विद्रोहियों द्वारा मणिपुर राज्य में कुछ गांव जला दिये गये थे।

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded

२४ अप्रैल, १९६४ को शाम के लगभग ७ बजे रानी गैडिल्लू के कुछ अनुयायिओं ने न्जेनिंग गांव के, जो मणिपुर राज्य के तमेंगलौंग उपविभाग के फुकलौंग खुनौन गांव का एक भाग है, १७ घर जला दिये । ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे यह मालूम हो कि इन घरों का आग से जलना नागा विद्रोहियों की करतूत थी । किसी के जीवन की हानि नहीं हुई । सम्पत्ति की जो हानि हुई है उस के बारे में अनुमान है कि वह ७,००० रु० की है । जिन गांव वालों पर इस आग का प्रभाव हुआ है वे समीप के एक गांव में, जो इनेम पुकारा जाता है, आश्रय लिए हुए हैं, । उस गांव का कोई निवासी गुम नहीं है । अपराधियो का पता अभी नहीं लगा है ।

मणिपुर राज्य में इस प्रकार की किसी दूसरी घटना की कोई सूचना नहीं मिली है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या अपराधियों को पकड़ा गया है और यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और सरकार का उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हाथी : अभी अपराधी नहीं पकड़े जा सके ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम नागालैंड सीमा पर विदेशियों के उन से सम्पर्क को समाप्त नहीं कर सकते और नागाओं को शांत नहीं कर सकते ?

श्री हाथी : इस घटना में विदेशियों का हाथ है इस बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं है । यह तो शायद नागाओं के विभिन्न सम्प्रदायों में ही झगड़े के कारण हुआ था ।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर): मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीणों की नागा विद्रोहियों से रक्षा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : हम मनीपुर राईफल बैटैलियन बना रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि नागा विद्रोहियों की गतिविधियां अधिक तीव्र हो गयी हैं इसलिए उन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री हाथी : इस घटना में नागा विद्रोहियों का सीधा हाथ नहीं है । यह नागाओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में आपसी झगड़े के कारण हुई ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Is it a fact that the hostile activities have increased ever since the Peace Conference was held in Nagaland to calm down the hostiles ?

Shri Hathi : I have no such information.

Shri Bade (Khargone) : Is it a fact that the two parties were involved in the dispute, one of which was that of the Naga Hostiles and the other of the Government ?

Shri Hathi : No, Sir. But the party which set fire was against the Naga hostiles.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सही है कि नागालैंड में शांति स्थापित करने के सभी प्रयास असफल रहे हैं ?

श्री हाथी : यह नहीं कहा जा सकता कि सभी प्रयास असफल रहे हैं। परन्तु हम शांति स्थापित करने के लिये और कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं।

(३) दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सम्भरण व्यवस्था का भंग होना

अध्यक्ष महोदय : इस विषय सम्बन्धी वक्तव्य को सभा पटल पर रख दिया जाय। इसे ५ बजे लिया जायगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-२८६७/६४]

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री नाथ पाई : (राजापुर) : बम्बई में फ्री प्रेस जर्नल के कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में मैंने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिस के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी गयी।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बता दूंगा।

काश्मीर पर चर्चा के बारे में

RE : DISCUSSION ON KASHMIR

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : सभा के सभी पक्षों की ओर से यह इच्छा व्यक्त की गयी थी कि काश्मीर के बारे में यहां पर चर्चा हो और प्रधान मंत्री बतायें कि शेख अब्दुल्ला के साथ किस आधार पर बातचीत चल रही है। समाचारपत्रों में कई प्रकार की खबरें छप रही हैं। इसलिये हमें बताया जाय कि वस्तु स्थिति क्या है और यह आश्वासन भी दिया जाय कि सभा की उपेक्षा कर के कोई निर्णय नहीं लिया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : राजाजी और शेख अब्दुल्ला के बीच क्या बातचीत हुई है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं यह जानता हूं कि सभा शेख अब्दुल्ला से हो रही वार्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये उत्सुक है। शेख अब्दुल्ला विनोबा जी तथा राजाजी से मिलने के बाद पिछली रात ही दिल्ली लौटे हैं। मुझे शेख अब्दुल्ला की उन लोगों से हुई बातचीत के बारे में पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है परन्तु उन्होंने उनके बारे में कुछ रोशनी डाली थी। पूरी भूमिका में जाये बिना विनोबा जी तथा राजाजी से हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सभा को निदेश किये बिना कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वे बातें दूर के विषयों से सम्बन्धित हैं । मैं मानता हूं कि तात्कालिक बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु दूर की बातों पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । इसलिये उनके बारे में संक्षेप में कहना जरा कठिन है । आशा है सभा मुझे इस मामले में इस समय और अधिक न कहने के लिये क्षमा करेगी ।

Shri Kachhavaiya : This matter was life for the House to decide and now talks are being held without the permission of the House.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I thank the Prime Minister for assuring the House that no final decision will be taken without the permission of the House, but I would request that we should be vigilent about the developments such as the talks between the High Commissioner for Pakistan and Sheikh Abdullah.

Shri Bade (Khargone) The Prime Minister should also pay attention to the situation which has been created in Kashmir, due to which it has become difficult for the Hindus to stay there.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वतंत्र दल के नेताओं और श्री जय प्रकाश नारायण के राजद्रोहपूर्ण वक्तव्यों पर रोक लगाई जायेगी ?

Shri Rameshwaranand : I want to ask only one thing *i.e.* whether anything still remains to be settled regarding Kashmir ?

Shri Jawaharlal Nehru : There is nothing irregular in the meeting between the High Commissioner for Pakistan and Sheikh Abdullah. I allowed him. Sheikh Abdulla has not yet given any reply to the invitation received by him.

Mr. Speaker : Even the other day this question was raised and Shri Mukerjee has said that it should be left for the Prime Minister to give the information which the thinks proper, at the end of the Session. So it is not useful to ask these questions.

Shri Ram Sewak Yadav : I want to ask only one thing *i.e.* whether the talks between Sheikh Abdulla and Shri Jai Prakash Narain are being held with the permission of the Prime Minister.

Shri Jawaharlal Nehru No Sir. I do not know anything about that.

Shri Rameshwaranand : My question has not been replied.

Mr. Speaker : The House agrees with me when I say that this matter should not be discussed now.

लोक सेवा के आगामी सत्र के बारे में

STATEMENT RE : Ne xt ssion of Lok Sabha

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : सभा के कुछ वर्गों ने मांग की थी कि अगले सत्र के प्रारम्भ के बारे में वक्तव्य दिया जाय । अतः मैं सभा को बताना चाहता हूं कि २७ मई, १९६४ से लोक सभा का सत्र बुलाने का निश्चय किया गया है और वह सरकारी कार्य की आवश्यकता अनुसार ५ जून, १९६४ तक रहेगा ।

सरकारी कार्य की प्राथमिकता का निश्चय अभी करना है किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य, संविधान (१९वां संशोधन) विधेयक के बारे में होगा और कुछ अन्य विचाराधीन विधेयकों को भी लिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस वक्तव्य में यह उल्लेख नहीं किया गया कि काश्मीर के मामले पर चर्चा होगी या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : वह फिर देखा जायगा ।

श्री हेम बरुआ : मैं विशेष सत्र का विरोध करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब वे विरोध नहीं कर सकते ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अगले सत्र में इतनी अधिक गर्मी होगी कि आप सरकार से अनुरोध करें कि सत्र प्रातःकाल हुआ करे ।

Shri Onkar Lal Berwa: It is improper to spend Rupees 10 lakhs during this emergency, simply for passing the Constitution 17th Amendment Bill.

Mr. Speaker : I do not allow this.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की वर्ष १९६३-६४ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति इस के वर्ष १९६२-६३ के वार्षिक लेखे और तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-२८६८/६४]

कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, १९६३ की धारा ४६ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त निगम सामान्य विनिमय, १९६३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२५ की एक प्रति सभा पटल रपर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२८६९/६४]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत विनिमय

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६१ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-२८७०/६४]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही का सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं वर्तमान अधिवेशन में हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों (३२वीं से ४४वीं) के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिले हैं कि :—

(एक) लोक सभा द्वारा ३० अप्रैल, १९६४ की बैठक में गये इस संशोधन को राज्यसभा ने अपनी ४ मई, १९६४ की बैठक में स्वीकार कर लिया है :—

अधिनियम सूत्र

(१) पृष्ठ १ पंक्ति १ में " fourteenth " ["चौदहवें"] के स्थान पर " fifteenth "["पन्द्रहवें"] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ १ पंक्ति ४ में " 1963 " ["१९६३"] के स्थान पर " 1964 "["१९६४"] रखा जाय ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २८ अप्रैल, १९६४ की बैठक में श्री जी० राजगोपालन और श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के राज्य सभा से सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण लाभ-पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्तियों के लिए दो सदस्य चुनने के बारे में लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई और उसने उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए श्रीमती शारदा भार्गव और श्री एम० सी० शाह को निर्वाचित किया है ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा वर्तमान अधिवेशन में पास किया गया तथा ४ मई, १९६४ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक, १९६४ सभा पटल पररखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

तिरेसठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय—प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा सेनाओं के प्रधान कार्यालयों के संगठन के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की छब्बीसवीं रिपोर्ट में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का तिरेसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

राउरकेला से गाजीपुर भेजे गये उर्वरक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: FERTILIZERS DESPATCHED FROM ROURKELA TO GHAZIPUR

Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : Sri I lay on the table a statement regarding the complaint made by Shri Sarjoo Pandey on the 26th March 1964 [Placed in the Library vide Index no. L.T. 2867/64]

पूर्वी पाकिस्तान रेलवे के गार्ड के बारे में वक्तव्य

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर):श्रीमान् आप को स्मरण होगा कि श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने १० अप्रैल को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के रेलवे गार्ड को तस्कर व्यापार के कारण गिरफ्तार किया गया था और कहा था कि उसके विरुद्ध दो महिलाओं के प्रति दुराचरण का कोई मामला नहीं है । अगले ही दिन हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड में इस दुराचार का व्यौरा आया था । मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस गार्ड के विरुद्ध उन महिलाओं के न्यायाधीश के पास वक्तव्य दिये थे और क्या उक्त गार्ड को पाकिस्तान लौटने पर गिरफ्तार किया गया था ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या यह सच है कि गीतारानी और मंजुरानी द्वारा अपराधी की पहचान होने पर और न्यायाधीश के समक्ष उनके वक्तव्य पर नुर अली गार्ड को गिरफ्तार किया गया था ?

श्री बड़े : माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया था कि उक्त गार्ड को तस्कर व्यापार के अपराध पर गिरफ्तार किया गया था जबकि वास्तव में उसे उक्त महिलाओं की शिकायत पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६४ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य शंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि दो महिलाओं के प्रति दुराचार किया गया था । किन्तु नुर अली मेरे १० अप्रैल के वक्तव्य के

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

अनुसार भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। उसके विरुद्ध महिलाओं के प्रति दुराचार की शिकायत भी मिली थी किन्तु प्रमाण न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

समाचार पत्रों में लिखा है कि इन महिलाओं ने दण्डाधीश के समक्ष बयान दिये हैं। यह गलत है। एक महिला ने पुलिस के पास शिकायत की थी जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मन्त्री के वक्तव्य से पता लगता है कि उनका पहला वक्तव्य गलत था क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक स्पष्ट मामले के विरुद्ध विरोध पत्र भेजा है। दुराचार के ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पूर्व वक्तव्य ने यही कहा था कि किसी अपराध पर गार्ड को गिरफतार किया गया है। उन महिलाओं ने दण्डाधीश के पास कोई वक्तव्य नहीं दिया था। घटना क्योंकि पाकिस्तान में हुई अतः हम केवल विरोध पत्र भेज सकते थे।

श्री उ०म० त्रिवेदी : माननीया मन्त्री यह कैसे कह सकती हैं कि शिकायत करने वाले और अभियुक्त दोनों के यहां होने पर भी अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी?

श्री स० मो० बनर्जी : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पता लगता है कि उन महिलाओं ने वक्तव्य दिया था। सरकार ने भारत आने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए क्या किया है?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदया उसका उत्तर दे चुकी हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय मैं पक्का तो नहीं कह सकता किन्तु घटनास्थल के दण्डाधीश को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस सम्बन्ध में दो राय हैं और केवल भट्टाचार्य को तो पाकिस्तान सरकार अवैध रूप से हमारे क्षेत्राधिकार से पकड़ कर ले गई थी, जबकि इस मामले में अपराधी के यहां उपस्थित होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

Shri Kachhavaiya : Whether it is a fact that the Government released the guard because of the fear of the Pakistan Government ?

Mr. Speaker: I take objection to these words. The Hon. member should be caeful in using such language.

श्री हरि विष्णु कामत : यह अकेला उदाहरण नहीं है बल्कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं अतः क्या सरकार का विचार पाकिस्तान सरकार के साथ मिल कर संयुक्त दल नियुक्त करने का है जो प्रव्रजकों की रक्षा के साथ ये आए या हम अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महिला संग न से सहायता के लिए निवेदन कर सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम इन सुझावों पर विचार कर रहे हैं। महिला संगठनों की समिति बनाई गई है जिसकी समय समय पर बैठकें हो रही हैं।

दरगाह ख्वाजा साहेब (संशोधन) विधेयक

DURGAH KHWAJA SAHEB (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : सभा निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

श्री श्याम लाल सर्राफ भाषण जारी रखें।

Shri Sham Lal Saraf (Nominated-Jammu and Kashmir): I rise to support the amendments moved by Shri Humayun Kabir, which are to the effect that presents made by the people at Durgah Saheb should be received by Nazir only and the persons working there should be treated as public servants.

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

We have a well founded tradition of "Live and Let Live". Some people say Islam was spread in India with the force of sword. That is true to some extent but the Sufi saints have been a centre of attraction for the advocates of all the religions. These saints were really spiritualists. Our Civilization is utterly devoid of Communalism.

I have to submit a few thing regarding the arrangements for accommodation for the pilgrims at Durgah Saheb. Lakhs of people go there but the arrangments are not adequate. Attention should be paid to it. Moreover proper care should be taken regarding the arrangements of sanitation. Arrangements of Law and order and traffic also required to be toned up. Politics should not be allowed to be entered in these sacred places, only then they would be source of our love and faith.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता केन्द्रीय) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पवित्र दरगाह की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। यह अजमेर की दरगाह मिश्रित संस्कृति का सुन्दर नमूना है। इस देश में स्लाम को फैलाने के लिए सुन्दर और आदरपूर्वक मैदान उपलब्ध हुआ। और इसके परिणामस्वरूप स्लाम और हिन्दुत्व में बड़ा अच्छा समन्वय हो गया। सारी स्थिति को देखते हुए यही उचित है कि हम इन स्मारकों की देख भाल करें क्योंकि वे न केवल धार्मिक विचारधारा के केन्द्र हैं बल्कि सांस्कृतिक संस्थाएं भी हैं।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के स्थानों और केन्द्रों की देखभाल ठीक प्रकार से करे। यह विधेयक एक उदाहरण है इसकी रोशनी में हमें हिन्दु मन्दिरों की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टि से मेरा मत यह है कि यह विधेयक एक उचित कार्यवाही है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

Shri A.S. Saigal (Janjgir) : The act in this connection was passed with the idea in 1955 that conditions of Sacred durgah will improve. The Durgah was one of the most important places of pilgrimage and is held in high esteem by all sections of the people. It was unfortunate that certain elements were collecting offerings and nazars at the Durgah and utilising them for their

[Shri A. S. Saigal]

own purposes. Taking stock of the situation it was considered necessary that the fullest control was exercised on such offerings and that the funds were utilised to the useful ends.

It is very necessary to maintain the sanctity of the place. People come here from all part of the world and pay their homage. Their offerings should not become fortune of the selfish people. With these words I support the bill and also request that Sikh Gurudwara Bill 1958 should also be passed soon.

Shri Yashpal Singh (Kairana): I congratulate the Minister for this bill. It ought to have come four years before. The delay has given us some spiritual loss. This bill deserved to be supported by the whole House. The Government should see that better arrangements were made at the Durgah for the pilgrims who visited the Shrine in large numbers. This Shrine should be made worthy of India.

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : मैं अपने पूर्ववक्ता से सहमत हूं । देश के सभी भागों में इस प्रकार के सन्तों के स्थानों की देखभाल करना हमारा कर्त्तव्य है । इसमें कोई साम्प्रदायिक भेद भाव नहीं है । इस स्थान पर तो विदेशों से आये लोग भी अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने जाते हैं । अभी हाल ही मलाया के प्रधान मन्त्री टंकु अब्दुल रहमान भी वहां दरगाह पर अपनी श्रद्धा के फुल चढ़ाने गये थे नहीं मूस्लिम सन्तों के कारनामों से ही भारत में इस्लाम में फैला है । इस्लाम विश्वास रखते हुए मी इन सन्तों का दृष्टिकोण धर्म निरपेक्ष है ।

इस विधेयक को इन दरगाहों में सुधार कराने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है । जो वर्तमान कानून है उसमें कुछ दोष पाये गये थे। इस बारे में १९४९ में जांच भी की गयी थी । सारी स्थिति का अनुमान लगाते हुए मैं यह कह सकता हूं तीर्थ यात्रियों की और दरगाह के खादिमों के निन्दनीय रवैये को देखते हुए यह विधेयक आवश्यक है, जो लोग अनधिकृत रूप से जनता से नजर और चढ़ावा लेते हैं उनके लिए इसमें दण्ड का ठीक ही उपबन्ध किया गया है । आशा है कि एकत्रित धन को शिक्षा जैसे अच्छे प्रयोजनों में लगाया जाएगा । अच्छा हो अबी के स्कूल भी खोले जायें और इस्लाम की सच्ची शिक्षा इस देश में दी जाय । इस तरह भारत के मुसलमान सच्चे मसलमान बनेंगे और विधेयक का उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।

Shri Kanshi Ram Gupta (Alwar) : Durgah is sacred place of pilgrims from all over the world. The law was exacted in order to administer the affairs of Durgah. But due to some defects, this amendment is thought necessary. Due to the deplorable attitude of the Khadims of the Durgah towards the pilgrims, it was very rightly that the provision of penalty has been made. Those persons will be dealt with under these provision who collected nazar and offering from the public without being authorized for that.

It is hoped that the bill will be properly implemented and the fund thus collected will be utilised in useful purposes, such as the spread of education.

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): इस विधेयक का उद्देश्य कुछ अनुचित चीजों को रोकना है । अतः सभी दिशाओं से इसको समर्थन प्राप्त होगा । परन्तु मेरी दृष्टि से इस विधेयक का महत्व अन्य कारणों से भी है । इसका सम्बन्ध एक ऐसी महान् संस्था से है जो कि एक सन्त के नाम से स्थापित है और

चल रही हैं। उन्त सत्र का धर्म के प्रति दृष्टिकोण संकीर्ण विचारों से कहीं ऊपर था। वह विशाल दृष्टि से संसार को देखते थे और उनका पूर्ण विश्वास समस्त विश्व की एकता में था। उन महान् आदर्शों की ृष्टि से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जो कि मेरे माननीय मित्र ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : यह विधेयक बहुत ही छोटा है और इसमें केवल एक ही खण्ड है। और इसका सम्बन्ध एक ऐसे सन्त के साथ है जो कि देश में मानवीय एकता का प्रतीक रहा है। इस विधेयक पर हम सब एक मत हैं। हमारी इच्छा यह है कि उनकी दरगाह पर अपेक्षित पवित्रता और शान्ति को कायम रखा जाय। यह भी आशा की गयी थी कि दरगाह में इस तरह का वातावरण बन जायेगा कि कानून बन जाने के बाद उसे वहां प्रयोग करने की आवश्यकता नही होगी।

यात्रियों की दो चार कठिनाइयों के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि दरगाह की प्रबन्ध समिति ने इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। एक मुसाफिर खाने का निर्माण किया जा रहा है जहां पर कि लगभग २००० यात्री ठहर सकेंगे। एक होस्टल का भी निर्माण हो रहा है जिसके कि २७ कमरे होंगे। मुसे सामान्य वातावरण में सुधार लाने के बारे में भी समिति पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है।

खादिमों के बच्चों को कुछ प्रशिक्षण देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। इससे ये लोग कुछ अच्छे और लाभदायक व्यवसायों में जा सकेंगे। यह भी प्रस्ताव है कि इन खादिमों के बच्चों तथा अन्य बच्चों के लिए एक तकनीकी परिष ् बनाई जाय। इस बारे में मुझे और कोई विशेष बात नहीं कहनी, सदन में इस सम्बन्ध में जो एक मत है उसका मैं स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the bill.

संशोधन किया गया।

Amendment made

पृष्ठ १, पंक्ति ४, "1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रख दिया जाय।(२)

[श्री हुमायून कबिर]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधन रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause I. as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ १, पंक्ति पंक्ति १, (" Fourteenth " ["चौदहवां"] के स्थान पर " Fifteenth" ["पन्द्रहवां"] रख दया जाय । (१)

[श्री हुमायून कबिर]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रम्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री हुमायून कबिर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

वक्फ (संशोधन) विधेयक

THE WAKF (AMENDMENT) BILL

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वक्फ अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

वक्फ इस्लाम के सामाजिक तथा आर्थिक ढाचे की एक विशेषता है। उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि समुदाय के गरीब भाइयों की अवस्था की ओर भी ध्यान दिया जाय। यह संस्था आरम्भ से ही सम्प्रदाय के लोगों में लोकप्रिय रही है। समय के साथ साथ यह लोगों में और अधिक मान्य होती गयी। जैसे जैसे लोगों में चेतना आती गयी इस दिशा में सुधार का कार्य होता रहा। यह सुधार का कार्य १९२१ में आरम्भ हुआ था और पहिला कानून १९३४ में बना था। १९३४ में पहिला कानून बंगाल में बंगाल वक्फ अधिनियम के नाम से बनाया गया। १९३६ में उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना। दिल्ली में यह कानून १९४३ में बना और बिहार में ऐसा ही कानून १९४७ में बना। इस तरह से इस दिशा में कार्य प्रगति करता रहा। यद्यपि स्वर्गीय काजमी ने बहुत काम किया। परन्तु इसके वास्तविक निर्माता मौलाना अबल कलाम आजाद थे। उनकी देख रेख में ही केन्द्रीय वक्फ अधिनियम मई १९४५ में पारित किया गया।

गत १० वर्ष तक अर्थात् १९५४ से यह अधिनियम काम कर रहा है। इसे कार्यान्वित करते हुए इस साल में कुछ कठिनाइयां अनुभव हुईं। इन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से और आगे इसके कार्य को सुधारने की दृष्टि से, इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत से राज्यों में वक्फ बोर्ड बड़े प्रभावशाली ढंग से कार्य करते रहे हैं। कुछ बोर्डों ने तो कुछ सुधार भी लागू किए हैं और उन्होंने शिक्षा और आर्थिक विकास का कार्य भी किया है। इस वर्तमान विधेयक द्वारा उन लोगों के हाथ मजबूत हो जायेंगे और राज्य सरकारें उन्हें सहायता देंगी। वक्फ कोष को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की दृष्टि से भी वे कुछ परिवर्तन कर सकेंगे और ये परिवर्तन सभी भारतीयों के लाभ को ध्यान में रख कर किए जायेंगे।

'लाभ पाने वालों' की परिभाषा जन उपयोगिता के लक्ष्यों की दृष्टि से काफी व्यापक बना दी गयी है। और मुस्लिम कानून के अन्तर्गत स्वीकृत सभी सलक्ष्यों को ले लिया गया है। यह प्रस्ताव किया गया था कि एक केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना की जाये जिसका परामर्श भी केन्द्रीय सरकार को उन तमाम अवसरों पर प्राप्त होता रहे जब कि इस मामले पर कोई नीति निर्धारित करने की आवश्यकता हो। अथवा राज्य वक्फ बोर्ड को कोई परामर्श देना हो।

हम यह भी प्रयत्न कर रहे थे कि राज्य वक्फ बोर्डों के साधनों को इकट्ठा करके केन्द्रीय वक्फ बोर्ड के लिए कुछ कोष की व्यवस्था कर दें। हम धर्म दान प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त कर रहे हैं। पहिले राज्य वक्फ बोर्ड केवल उसी धन का उपयोग

[श्री हुमायूं कबीर]

कर सकते थे जो कि उन्हें विभिन्न वक्फों से अदायगी के रूप में प्राप्त होता था। उन्हें धर्म दान अथवा किसी भी प्रकार का दान स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी।

'वक्फ' की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है ताकि गैर मुस्लिम लोगों से मिला दान भी विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार 'वक्फ' ही समझा जाये। यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि किसी मान्य वक्फ को अवैध रूप से किसी मुतावली ने ले लिया है तो उसे नोटिस दे कर सम्पत्ति उससे उसी तरह वापिस ली जा सकती है, जैसे कि अन्य सम्पत्तियां ली जाती हैं। इस में अदालत में अपील करने के अधिकार की भी व्यवस्था कर दी गयी है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुतावलियों को हटाने के उपबन्ध भी बहुत कड़े कर दिये गये हैं। साथ ही मुकदमा करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। व्यवस्था कर दी गयी है कि वक्फ बोर्डों का परामर्श लेने के बाद ही कोई मुकदमा दायर किया जा सकेगा।

भारत में उन मुस्लिम नागरिकों की बरी संख्या है जिनका बैंकों में काफी धन जमा है लेकिन वे ब्याज नहीं लेते। हम महसूस करते हैं कि यदि वक्फ़ बोर्ड और वक्फ़ निधि को जनता से दान लेने का अधिकार मिल जाये तो इसमें से कई धार्मिक और लाभप्रद कार्यवाही की जा सके।

आन्ध्र प्रदेश राज्य बोर्ड ने एक ऐसी योजना चालू की है जिससे बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हें कुछ सहायता भी दी जायेगी ताकि वे अपने लघु उद्योग स्थापित कर सकें और इस प्रकार देश में केवल बेरोजगारी की समस्या का ही हल नहीं होगा बल्कि देश के संसाधनों में भी वृद्धि होगी।

खण्ड २१ के द्वारा वक्फ़ की परिभाषा व्यापक करके संशोधन किया जा रहा है ताकि जो गैर-मस्लिम व्यक्ति विधेयक में दिये गये प्रयोजनों के लिये दान दें, उनको भी वक्फ़ समझा जा सके। बाकी अन्य खण्ड मुख्यतः प्रशासनिक सुधार के सम्बन्ध में हैं।

खण्ड ११ अवैध रूप से कब्जा की गयी वक्फ़ सम्पत्ति की वसूली के तरीके के बारे में है। पहले सिवाय न्यायालय में जाने के और कोई चारा नहीं था। किसी के अधिकारों को छीना नहीं जायेगा। सामान्यतः यह खण्ड उस सम्पत्ति पर लागू होगा जिसे वक्फ़ सम्पत्ति घोषित किया गया हो और माना गया हो। इसमें नोटिस देकर सम्पत्ति उसी तरह वापस ली जा सकती है। जैसे कि अन्य सम्पतियां। इसमें असैनिक न्यायालय में अपील करने की भी गुंजायश है।

खण्ड १२ और १३ में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई 'मुतावली' अपना कार्य ठीक से नहीं करता है तो उसे फौरन हटा देना चाहिये।

खण्ड १६ में मुकद्दमा चलाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। भविष्य में मुकद्दमे आवश्यक वक्फ बोर्ड के परामर्श से ही चलाये जा सकेंगे।

इन वक्फ़ों के जरिये हम समाज की बड़ी सेवा करते हैं। ये वक्फ़ केवल लोगों की आर्थिक स्थिति ही सुधारने के साधन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सार्वभौमता बनाने में भी ये बड़ा काम करते हैं और शिक्षा का विस्तार करते हैं और विभिन्न सम्प्रदायों के व्यक्तियों में मेल कराते हैं।

श्रीमान जी, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को विचारार्थ पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव हुआ :

"कि वक्फ़ अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : इस संशोधन विधेयक के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। हमारा अनुभव यह है कि मुस्लिम वक्फ़ों और हिन्दू धर्मस्वों का दुरुपयोग किया गया है। इनकी बदनामी हुयी है। अतः जो वक्फ़ बनाये गये हैं उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये बड़ा अच्छा प्रयत्न किया गया है और इसको सीमित रखा गया है। इस प्रकार यह काफी हद तक राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक कदम है।

खण्ड २ में संशोधन द्वारा गैर-मुसलमानों को भी मुसलमानों के समान, वक्फ़ से लाभ उठाने का उचित अवसर दिया गया है।

धर्म-कार्य के लिये दान की गयी सम्पत्ति के सुचारू रूप से प्रबन्ध के लिये कड़े उपाय किये गये हैं ताकि वक्फ़ सम्पत्ति के साथ कोई शरारत न खेली जाये। मुतावली और बैंक के मैनेजर की गतिविधियों पर नियंत्रण की भी इसमें व्यवस्था की गयी है।

खण्ड ११ का भी मैं स्वागत करता हूं क्यों कि इसमें वक्फ़ सम्पत्ति को वसूल करना सरल हो सकेगा और वास्तविक व्यक्ति को भी कोई क्षति नहीं होगी।

यह विधेयक उन राज्यों में भी लागू किया जाये जहां केन्द्रीय वक्फ़ अधिनियम लागू नहीं है ताकि देश भर में नीति समान हो। जो व्यक्ति बैंक से ब्याज नहीं लेते हैं, ऐसे मामलों में यह व्यवस्था होनी चाहिये जिससे ब्याज की सारी राशि वक्फ़ को मिले और इस प्रकार जनता को लाभ हो।

श्री मोहसिन (धारवाड दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है जिससे गैर-मुसलमान लोगों द्वारा बनाये गये वक्फ़ भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जायें। वक्फ़ की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है ताकि इसमें मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों शामिल हो सकें। देश की धर्म-निरपेक्षता के अनुसार इसको सभी वर्गों के लोगों के लिये खुला रखा गया है।

स विधेयक के द्वारा हर राज्य में वक्फ़ बोर्डों द्वारा अपनायी जाने वाली नीति और कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये एक केन्द्रीय वक्फ़ परिषद बनायी जायेगी। यह बडा अच्छा है। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सर्व निदेशों के लिये केन्द्रीय सरकार का मुंह ताकते थे।

[श्री मोहसिन]

खण्ड ५ में सुन्नी और शिया वर्गों के लिये दो बोर्ड स्थापित करने का उपबन्ध है। मैं इसको ठीक नहीं समझता क्योंकि कि खुदा एक है और ये दोनों एक ही खुदा को मानते हैं। इस प्रकार हमें उनमें फूट नहीं डालनी चाहिये बल्कि उनके एक दूसरे के निकट लाना चाहिये और दोनों के लिये एक ही बोर्ड होना चाहिये।

यह अच्छी बात है कि सुचारु प्रबन्ध के लिये मुतावलियों को हटाने की व्यवस्था की गयी है।

राज्य बोर्डों से वक्फ़ की सूची प्रकाशित करने की लागत वसूल करना ठीक नहीं है क्यों कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। राजस्थान में धन काफी हो सकता है लेकिन अन्य स्थानों पर नहीं।

खण्ड ११ बड़ा अच्छा है। इस प्रकार मुतावलियों को, ठीक काम न करने पर, हटाया जा सकेगा। यह ठीक है कि भविष्य में सम्पत्ति नष्ट होने से बच जायेगी लेकिन अब तक जो सम्पत्ति बेची जा चुकी हैं उसे वसूल करने के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये। अवधि भी १२ वर्ष से बढ़ा कर ६० वर्ष कर दी जानी चाहिये।

वक्फ़ की परिभाषा पूर्ण और व्यापक नहीं है जिसके फलस्वरूप वक्फ़ अधिनियम के कार्यकरण के बारे में कई विवाद उठ खड़े हुए हैं। मैसूर क्षेत्र में, जहां बम्बई न्यास अधिनियम लागू है, वक्फ़ बोर्ड और न्यास अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही दोहरी होती है। वक्फ़ बोर्ड के पास एक सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है तो सहायक धर्मदान आयुक्त के पास वह सार्वजनिक न्यास है। इसमें यह तै करना मुश्किल हो जाता है कि वक्फ़ अधिनियम के अन्तर्गत कौन सी सम्पत्ति आती है। इसमें वक्फ़ की परिभाषा स्पष्ट कर यह मामला हल कर दिया गया है। यह अच्छा है कि बोर्डों की एक प्रतिशत आय केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् को, इसको शिक्षा कार्य पर खर्च करने के लिये, दी जायेगी। यदि इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन किया गया तो यह केवल मुसलमानों के ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के हित में होगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I congratulate the Hon. Minister for bringing forward the Bill.

I would like to draw the attention of the Hon. Minister to certain points. Firstly it is necessary that unauthorised transfer is not allowed.

Secondly, Steps should be taken to see that the mutawallis live a pious life and do not indulge in improper activities. Mutawallis do not give full justice to their duties.

It is necessary that for their management there should be a public representative in it besides the representative of the Government.

Now judiciary is the guardian of our Constitution and strengthening the hands of the Government in such a way that no appeals could be contituted against the decisions of the Govenment would be against the spirit of the Constitution. This is against the democracy and secularism. So, the clause 4(a) should be deleted and the mutawallis should be given the right to appeal in the High Court or the Supreme Court if they were aggrieved by an order of the State Government.

The hon. Minister has rightly done forbidding charging interest as this is against the religion.

There should be some provision for the family but controlled. The representatives of the people should be able to see that there is no unauthorised transfer.

It is necessary that there is no tax on the property, for which this Bill has been brought forward.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर): श्रीमान् जी, यह विधान बहुत बुरा नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि यह बहुत अच्छा है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि इस विधेयक को सभा में रखने के लिये श्री हुमायून कबिर को ही क्यों चुना गया। जब कि इस राज्य में किसी वर्ग, जाति अथवा वर्ण का कोई भेद नहीं है। यह विधेयक विधि मंत्री को पेश करना चाहिये था।

इस विधेयक के बड़े दूरगामी प्रभाव हैं। इससे लगभग समूचे 'वक्फ़' कानून में ही परिवर्तन हो जाता है और फिर भी सरकार ने इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट करनेका कोई प्रस्ताव नहीं रखा। यह बड़ी अजीब बात है। भारत भर में वक्फ हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश और बंगाल---सभी जगह वक्फ़ हैं। इस विधेयक द्वारा एक शताब्दी अथवा उससे अधिक समय से चले आ रहे उपबन्धों में परिवर्तन किया जा रहा है। हम इसमें जल्दबाजी कर रहेहैं।.मुस्लिम वक्फ़ के पक्ष में कोई अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिये। क्या यह इस लिये है कि हमें यह डर है कि हम सरकार के रूप में मुसलमानों के हितों में अन्याय करेंगे। अथवा यह इसलिये है कि सम्बन्धित महाधिवक्ता भेदभाव के तरीके से मुसलमानों को हानि पहुंचायेंगे और मुकदमा दायर करने के लिये आवश्यक मंजूरी नहीं देंग।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ९२ के अन्तर्गत 'वक्फ़' के कार्य में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध उपचार को हटा दिया गया है। ऐसा विधान क्यों रखा जा रहा है---समझ में यह बात नहीं आती।

खंड ४ एक बड़ा अनूठा है जिससे सरकार सभी धार्मिक धर्मस्वों पर अपना कड़ा नियंत्रण रखना चाहती है। इससे यह हिन्दुओं से शुरू किया और अब मुसलमानों पर आ गयी है।

सरकार अपने हाथ में इतने अधिक अधिकार क्यों लेना चाहती है ? इसको चाहिये कि समाज को संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वतन्त्रतापूर्वक और स्वायत्तता से चलने दे।

अनुच्छेद २५ और २६ की अवहेलना की गयी है। इस विधेयक द्वारा हम चाहते हैं कि सभी मुस्लिम वक्फ एक केन्द्रीय मंत्री के अधीन हों और बाकी नियुक्त २० सदस्य इनके कार्य की देखभाल करें। भारत भर में करोड़ों रुपयों के वक्फ़ हैं। अब इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है ? केवल अधिकार प्राप्त करना और उनको अपने शिकंजे में दबोचे रखना।

सरकार प्रस्तुत विधेयक द्वारा मुसलमानों को प्राप्त अधिकारों को छीनना चाहती है और मुसलिम समुदाय को अनुचित ढंग से अपने कब्जे में रखना चाहती है। सरकार का ऐसा करना उचित नहीं है।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

विधेयक के खंड ११ में किया गया उपबन्ध सब उपबन्धों में अच्छा है। यह सराहनीय बात है कि इस खंड में मुत्तवालियों को सम्पत्ति बेचने से रोकने का उपबन्ध किया गया है। किन्तु इसमें एक कमी रह गई है। पूर्व स्वीकृति के बाद सम्पत्ति बेचने की शर्त नहीं होनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होगी क्योंकि लोग स्वीकृति लेने के लिए कुरीतियों का सहारा लेंगे।

खंड १३ में राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील करने की अनुमति न देने से लोगों को कठिनाई होगी।

सियाओं के प्रति भेद-भाव की नीति अपनाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री हुमायून कबिर : मैं माननीय सदस्य श्री उ० मू० त्रिवेदी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह विधेयक मेरे कार्यक्षेत्र के अन्दर आता है। इसी लिये मैंने इसे प्रस्तुत किया।

माननीय सदस्य श्री त्रिवेदी का यह आरोप गलत है कि विधेयक को बिना सोचे समझे शीघ्रता से पारित किया जा रहा है। इसके सभी उपबन्धों पर सभी राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया गया है। और सभी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है। इन उपबन्धों पर संसद सदस्यों से भी विचार विमर्श हो चुका है। इस सम्बन्ध में वक्फ़ परिषद् से परामर्श लिया जा चुका है। अन्तर्राज्यीय वक्फ़ सम्मेलन में इस विधेयक के सभी उपबन्धों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। अतः सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सभी सम्बद्ध हितों के पूर्ण समर्थन के साथ यह सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए खंड १९ को विधेयक में शामिल करना आवश्यक समझा गया। इसमें महाधिवक्ता की मानहानि का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। मूल अधिनियम के अनुसार वक्फ़ सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ विशेष नियमों के अन्तर्गत ही मुकदमा चलाया जा सकता था। इससे होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही विधेयक में नया खंड १९ जोड़ा जा रहा है। इसके अनुसार बोर्ड द्वारा बिना महाधिवक्ता की अनुमति लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों को खंड ४ में इस बात पर आपत्ति है कि वक्फ़ विभाग के मंत्री को केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। प्रजातन्त्र में जनता के प्रतिनिधि को ही इस प्रकार की संस्था का अध्यक्ष बनाना वांछनीय है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : लेकिन हम २० व्यक्तियों को मनोनीत नहीं करना चाहते।

श्री हुमायून कबिर : अल्प २० व्यक्तियों में कई तरह के लोग होंगे और वे अधिकतर गैर-सरकारी होंगे क्योंकि यदि उसमें शासकीय लोग हों तो ऐसा सलाहकार बोर्ड बनाने का कोई लाभ नहीं होगा जिसका काम सार्वजनिक को जानना और महत्वतूर्ण विषयों पर केन्दीय सरकार को सलाह देना है।

श्री त्रिवेदी ने खंड ११ का स्वागत किया परन्तु कहा कि ऐसा सारा विक्रय पूर्णतः अमान्य होना चाहिये। हमने यह कहा है कि बोर्ड की आज्ञा से अचल सम्पत्ति बेची, उपहार में दी, रहन रखी या विनिमय में दी जा सकती है। कतिपय मामलों में बोर्ड इसकी अनुमति दे सकता है। श्री त्रिवेदी का सुझाव था कि अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आपने मेरी बात समझी नहीं है। मैंने तो यह कहा था कि वक्फ़ समिति का विक्रय आरम्भ में ही शून्य होना चाहिये और विक्रय के बाद मान्य नहीं होना चाहिये।

श्री हुमायून कबिर : मैंने आपको गलत नहीं समझा है । आप चाहते हैं कि आरम्भ से ही यह शून्य हो परन्तु कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जब कि किसी सम्पत्ति को बेचना जरूरी हो जाए । मान लीजिए कि किसी स्कूल की देख रेख के लिए कोई वक्फ़ सम्पत्ति है। किसी न कारण उस स्कूल के विकास के लिए रुपया चाहिये । जब तक यह तरीका न अपनाया जाए वह रुपया नहीं मिल सकता । प्रायः सरकार स्कूलों को अनुदान देती है । यदि न्यास २५ प्रतिशत दे तो ७५ प्रतिशत सरकार देती है । अब यदि न्यासधारी सम्पत्ति को बेच कर वह २५ प्रतिशत न जुटायें तो वे ७५ प्रतिशत से भी वंचित रह जायेंगे ।

पहले वक्फ़ का कोई रजिस्टर नहीं होता था । वक्फ़ के पंजीबद्ध होने के बाद और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तथा राज्य सरकारों द्वारा उसे मान लिये जाने के बाद ही अन्य संक्रामण पर कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है । यदि इसका भूतलक्षी प्रभाव हो तो बड़ी कठिनाइयां सामने आयेंगी । कोई भी दावा कर सकता है कि अमुक सम्पत्ति वक्फ़ सम्पत्ति है ।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए ।]

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

श्री मोहसिन : यदि कोई सम्पत्ति आज पंजीबद्ध करवाई जाती है तो क्या हम आज से १२ वर्ष पहले किये गये अन्य संक्रामण के विरुद्ध मुकदमा चला सकते हैं ?

श्री हुमायून कबिर : इस तरह का कोई भी विधान भूतलक्षी नहीं हो सकता । आगे चल कर पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो हम तो केवल इसी के लिये उपाय कर सकते हैं ।

खंड १३ पर श्री त्रिवेदी तथा श्री मोहसिन को इस बात पर आपत्ति है कि अपील पर राज्य सरकार का फैसला अन्तिम होगा । न्यासधारी को तभी हटाया जायेगा यदि वह रुपये का गोलमाल करेगा या उसमें कोई मानसिक या शारीरिक विकार आ जायेगा और इसमें किसी का निर्णय अन्तिम होना ही चाहिये क्योंकि यदि मुकदमेबाजी ज्यादा देर तक चलती रहेगी तो सम्पत्ति की हानि होगी । इसलिये जो लोग वक्फों का कल्याण चाहते हैं वे इस संशोधन का स्वागत करेंगे ।

श्री कक्कड़ ने कहा कि ऐसी व्यापक विधि होनी चाहिये जो सभी राज्यों पर लागू हो । हम भी इसे मानते हैं परन्तु जब तक राज्य सरकारें न मानें हम एसा नहीं कर सकते । केवल चार राज्य इस विधि के अधीन नहीं आते और मैं इसके लिये उनसे बातचीत कर रहा हूं ।

श्री मोहसिन ने सुन्नी वक्फ़ों तथा शिया वक्फ़ों के लिये अलग-अलग बोर्ड बनाने का विरोध किया है । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं । दो राज्यों ने केन्द्रीय अधिनियम को इसीलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके अधीन दो बोर्ड नहीं हो सकते । यदि किसी राज्य में कोई समुदाय अलग बोर्ड चाहता है तो मैं उसमें रुकावट नहीं डालूंगा । इस खंड में हमने यह उपबन्ध किया है कि यदि वे चाहें तो अलग बोर्ड बना सकते हैं । एक बार वे इस रूप में केन्द्रीय अधिनियम को स्वीकार करलें तो बाद में हम उन्हें एक ही बोर्ड बनाने के लिए समझा सकते हैं जहां दो बोर्ड हैं वहां मैंने सुझाव दिया है कि वे अपनी संयुक्त बैठकें करें चाहें मतदान वे अलग अलग करें। जहां किसी समुदाय की संस्कृति और आध्यात्मक तथा अन्य हितों का प्रश्न आता है वहां हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । मैं तो समझता हूं कि जब तक ये छोटी छोटी संस्थायें ठीक सिद्धान्तों पर चलती हैं, उनकी वित्तीय व्यवस्था ठीक है, वे जनता की सेवा करती हैं, उन्हें बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

[श्री हुमायून कबिर]

इसके बाद मेरे मित्र ने वक्फ़ की परिभाषा का भी उल्लेख किया। हम पहले ही उसका विस्तार कर चुके हैं। उन्होंने धार्मिक धर्मस्व अधिनियम का भी हवाला दिया। वर्तमान विधेयक का प्रयोजन यह है कि वक्फ़ अधिनियम को प्रवर्ती बनाया जाए और जहां यह अधिनियम प्रवर्ती है वहां से धार्मिक धर्मस्व अधिनियम का प्रवर्तन हटा लिया जाए।

मैं श्री यशपाल सिंह से सहमत हूं कि न्यासधारी सदा धार्मिक व्यक्ति होने चाहियें परन्तु 'धार्मिक' को यहां व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिये। 'धार्मिक व्यक्ति वह है जो मानवता का कल्याण चाहता है।

मैं समझता हूं कि मैंने सारी बातों का उत्तर दे दिया है। विधेयक का समर्थन करते के लिये मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वक्फ़ अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे। कोई संशोधन नहीं है। मैं सभी खंडों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से २४ विधेयक का अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड १ से २४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 to 24 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री हुमायून कबिर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक

SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) AMENDMENT BILL

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ मे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे, विचार किया जाये ।"

श्रीमान, आज से कोई छः महीने पहले मैंने गन्दी बस्तियों के सुधार तथा सफाई के लिये इस सभा में एक संशोधन विधेयक रखा था जिसके सिद्धान्त को यहां स्वीकार किया गया था और कुछ सदस्यों के कहने पर उसे संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था । सिवाय श्री दीनेन भट्टाचार्य के, जिन्होंने चार में से केवल एक बैठक में भाग लिया, समिति के सभी सदस्यों ने एकमत प्रतिवेदन दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : उनकी अनुपस्थिति का क्या महत्व है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : महत्व यह है कि यदि उन्होंने बैठकों में भाग लिया होता तो विमति टिप्पण न लिखते ।

मैं कह रहा था कि उस समिति ने चार बैठक की, कई दिन तक चर्चा की, साक्ष्य लिया और एक माननीय सदस्य के सिवाय सभी ने एकमत प्रतिवेदन दिया । इस प्रतिवेदन के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

संयुक्त समिति ने विधेयक के खंड २ और १८ में कुछ संशोधनों के सुझाव दिये हैं । खंड २ के एक उप-खण्ड में भूमि की परिभाषा की गई है तथा दूसरे में शुष्क शौचालयों को जल पद्धति वाले शौचालयों में परिणत करने की व्यवस्था की गई है । खंड १८ में की गई व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अपीलों की सुनवाई कर सकेगा । दिल्ली शक्ति-प्रत्यायोजन विधेयक १९६३ में यह व्यवस्था की गई है कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ की धारा २० के अधीन मुख्य सचिव अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी प्रशासक की शक्तियों का उपभोग कर सकता है । क्योंकि इन दोनों विधेयकों मे किये गये उपबन्ध एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं अतः गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

विधेयक के खंड १८ में और आगे संशोधन किया जा रहा है जिससे कि इसके उपबन्ध दिल्ली शक्ति-प्रत्यायोजन विधेयक, १९६३ के अनुरूप हो जायें।

खंड २० (ख) में समिति ने सुधारे गये स्थानों तथा गिराये जाने के पश्चात् पुनः बनाये गये स्थानों दोनों के किराये के निर्धारण के आधार में परिवर्तन किया है। पहिले मामले में किराया सुधार कार्य की लागत तथा अतिरिक्त भूमि की लागत का ७½ प्रतिशत निर्धारित किया जाता था, अब यह घटा कर ६ प्रतिशत कर दिया गया है। पुनः बनाये गये मकानों के मामले में पहले किराया पुनः बनाने की लागत तथा भूमि की लागत का ७½ प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, अब यह कम करके ४ प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य ने अपने विभूति टिप्पण में खंड ६ और ७ का उल्लेख किया था और यह सुझाव दिया था कि गन्दी बस्ती सफाई योजना के शीघ्र निष्पादन के लिये सरकार इन स्थानों का स्वयं अर्जन कर ले तथा स्वयं ही उनका पुनर्विकास करे। उनका कहना यह था कि विद्यमान अधिनियम के अधीन गन्दी बस्ती को सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के अधीन पुनः सुधारने का प्रथम अवसर गन्दी बस्ती के स्वामी को दिया जायेगा अतः इनके विकास मे काफी देरी होगी और यह दोष संशोधक विधेयक मे दूर नहीं किया गया है। परन्तु यह विचार ठीक नहीं है। संशोधी विधेयक के खंड ६ और ७ को साथ साथ पढ़ा जाये। खंड ७ के अधीन यह अधिकार दिया गया है कि गन्दी बस्ती क्षेत्र के हटाये जाने के तुरन्त पश्चात और स्वामी द्वारा पुनर्विकास कार्य आरम्भ किये जाने के पूर्व उस भूमि पर कब्जा किया जा सकता है। स्वामी द्वारा पुनर्विकास कार्य आरम्भ किये जाने के पश्चात् भी यदि यह देखा जाये कि कार्य सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के अनुसार नहीं हो रहा है अथवा विलम्ब से हो रहा है तो भी सक्षम अधिकारी द्वारा उस भूमि पर कब्जा किया जा सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य का दूसरा प्रश्न यह था कि इन स्थानों के विद्यमान निवासियों के सुधार तथा पुनर्विकास कार्य के पूरा होने तक कहां रखा जायेगा। दिल्ली नगर निगम ने अजमेरी गेट क्षेत्र और तीस हजारी क्षेत्र में निकटवर्ती क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये दो अस्थायी शिविर खोल दिये हैं। वहां लगभग २०० एक एक परिवार वाले मकान बनाये गये हैं। जिन गन्दी बस्तियों के सुधार तथा विकास कार्य को हाथ में लिया जायेगा उनके निवासियों को इन्हीं मकानों मे रखा जायेगा।

श्री भट्टाचार्य ने तीसरी बात उन लोगों के बारे में कही थी जो कि किसी क्षेत्र के सुधारे जाने तथा पुनर्विकसित किये जाने के पश्चात् उस क्षेत्र की बस्ती से फालतू बच रहेंगे। यह मकान बहुत घिच-पिच बसे हुए हैं अतः सुधार कार्य के पश्चात् ऐसा तो होगा ही। परन्तु फालतू बचे लोगों को अन्य किन्हीं क्षेत्रों में बसाने की व्यवस्था की जायेगी। अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी इस बात की जांच करेंगे।

गन्दी बस्तियों की सफाई का कार्य बहुत भारी है तथा सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त गैर-सरकारी संसाधनों का उपयोग किये जाने पर ही पूरा हो सकता है। इसी कारण से गन्दी बस्तियों के स्वामियों को उन क्षेत्रों का पुनर्विकास स्वयं भी करने की अनुमति दी गई है। परन्तु उन्हें यह कार्य सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के अनुसार ही करना होगा तथा नये बनाये गये

मकानों को रियायती दरों पर पुराने किरायेदारों को ही देना होगा । इसके लिये उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने का भी विचार है। यदि मास्टर प्लान के अधीन अनुमतेय हुआ तो उन्हें निचली मंजिल तथा पहली मंजिल पर व्यापार परिसरों तथा कार्यालयों के बनाने की अनुमति दी जा सकती है ।

श्री भट्टाचार्य ने दूसरी बात खंड १२ के बारे में कही थी जो कि किराये के निर्धारण के सम्बन्ध में है। इस विषय में मैं अभी बता चुका हूं कि संयुक्त समिति ने किराये की दरें कम कर दी हैं ।

श्री भट्टाचार्य ने दो आपत्तियां उठाई हैं। पहली यह कि इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि मकान मालिक पुराने किरायेदार को ही वापस मकान में रखेगा । यदि मकान मालिक ऐसा नहीं करेगा तो वह संशोधी विधेयक के खंड १२ की धारा २० (क) का उल्लंघन करेगा तथा उसे अधिनियम की धारा ३२ के अधीन इसके लिये तीन महीने तक की सजा अथवा एक हजार रुपया तक जुर्माना अथवा दोनों ही किये जा सकते हैं । यह कहना ठीक नहीं कि इस प्रकार अभियोग चलाने की कार्यवाही पर्याप्त निरोधक सिद्ध नहीं होगी। स्वामी इच्छापूर्वक जेल जाना पसन्द नहीं करेगा। दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि किराये का निर्धारण बहुत लम्बी मुकदमेबाजी के प्रक्रिया द्वारा होगा। प्रस्तावित खंड १२ में इसका ध्यान रखा गया है जिसके अनुसार मकान मालिक मकान के विकास तथा पुनर्निर्माण के नक्शे सक्षम अधिकारी को भेजेगा जो उनके आधार पर अस्थायी रूप से किराया निर्धारित करेगा जो कि पुराने किरायेदार द्वारा दिया जायेगा। बाद में यदि दोनों पक्ष चाहें तो किराया निर्धारण के सम्बन्ध में न्यायालय में जा कर मुकदमा लड़ा सकते हैं और इस प्रकार किरायेदार की स्थिति ही अधिक अच्छी रहेगी।

श्री भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि इसके लिये भी आवश्यक दंड की व्यवस्था की जाये कि गन्दी बस्तियों के निवासियों को जो प्लाट दिये जायें वे उन्हें आगे किसी और को किराये पर न उठायें और न ही उनके स्वामित्व का हस्तान्तरण करें। इस सम्बन्ध में यह किया जायेगा कि इन लोगों को इनके कार्य अथवा व्यापार स्थान के यथासम्भव निकट ही मकान या प्लाट दिये जायेंगे तथा उनका किराया भी रियायती दरों पर निर्धारित किया जायेगा जिसे वें दे सकें तथा उन्हें सुधारे गये तथा पुनः बनाये गये अपने मकानों में भी जाने का अधिकार होगा। इन्हें दो प्रकार के मकान दिये जायेंगे सरकारी अथवा निजी। सरकारी मकानों को यदि ये आगे किसी और को किराये पर उठायेंगे तो पब्लिक प्रेमिजेज (इविक्शन आफ अनऔथोराइज्ड आकुपेन्ट्स) एक्ट के अधीन उन पर कार्यवाही की जा सकती है और ग़ैर-सरकारी मकानों के मामले में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन। यदि मकानों अथवा प्लाटों का स्वामित्व इन्हें दे दिया जायेगा तो समझौते में इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी कि ये अनधिकृत व्यक्तियों को आगे स्वामित्व का हस्तांतरण न करें। दिल्ली में गन्दी बस्ती के निवासियों को जो मकान दिये जायेंगे वे उन्हें २० वर्षों में देय किश्तों में खरीद सकेंगे परन्तु वे मुख्य आयुक्त की अनुमति बिना उन्हें आगे हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे जब तक कि वे उनकी पूरी लागत न दे दें तथा उसके बाद पांच वर्ष का समय व्यतीत न हो जाये ।

इस विधेयक को सिद्धान्त रूप में १९५६ में स्वीकार कर लिया गया था जब कि पहली बार सदन के सामने आया था। फिर श्री ए० के० सेन ने इस प्रश्न की जांच की और कुछ सिफारिशें कीं जिन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है। अर्थ सहायता की दर जो कि पहिले लगभग ५० प्रतिशत थी अब बढ़ा कर ६२ प्रतिशत कर दी गई है।

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

गन्दी बस्ती क्षेत्रों के सुधारने के उद्देश्य से हम कुछ प्रोत्साहन भी दे सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ भूमि बहुत काफी समय पहिले खरीदी गई थी ।

दिल्ली मे हालत निरन्तर गिरती जा रही है । इन गन्दी बस्तियों के अतिरिक्त बहुत सारी झुग्गी-झोपड़ी भी हैं जिनकी संख्या तीन-चार वर्ष पहिले की प्रथम गणना के अनुसार २५,००० से ३०,००० तक है । अनुमान है कि बाद में यह संख्या ६०,००० तक भी चली गई है । यह समस्या बहुत ही गम्भीर है । कठिनाई यह है कि प्रभावी कार्यवाहियों तथा दंडात्मक उपायों के होते हुए भी अनधिकृत रूप से ज़मीन पर कब्ज़ा करके रहने का कार्य काफी बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं । शान्ति पथ तक पर भी नई झुग्गियां बनी देखी गई हैं । झुग्गी निवासियों को अन्य स्थान की व्यवस्था करने के लिये इस वर्ष के आय व्ययक में १० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । कुछ निहित हित वाले दल अनेक वर्षो से इसको बढ़ावा दे रहे हैं ।

कल पुरानी दिल्ली नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी वाले को २५ वर्ग़ गज़ ज़मीन के स्थान पर ८० वर्ग़ गज़ भूमि दी जाये । हम इन लोगों को दिल्ली से निकट के स्थानों पर ले जाना चाहते हैं जिससे कि वे लोग अपना अपना कार्य जारी रख सकें । गन्दी बस्ती सफाई योजना के अधीन, ७,८०० मकान मंजूर किये गये थे जिसमें से ६,००० पूरे किये जा चुके हैं, परन्तु यह झुग्गी झोंपड़ी योजना तो कुछ ही वर्ष पहिले आरम्भ हुई है और हम उसे शीघ्रतापूर्वक पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । ८० वर्ग़ गज के ५,५०८ प्लाट मंजूर किये गये थे जिसमें से ४७२० तैयार हो चुके हैं, २५ वर्ग़ गज़ के १५,४३० प्लाट मज़ूर किये गये थे जिसमे से ८६१९ तैयार हो चुके हैं । ८,००० से ९,००० के बीच परिवारों को इन स्थानों पर भेज दिया गया है । अब यदि प्रत्येक के लिये ८० वर्ग़ गज के प्लाट की मांग की जायेग़ी तो उसका अर्थ होगा कि २५ वर्ग़ गज़ वाले तीन प्लाट, और यदि ८० वर्ग़ गज के प्लाट तैयार किये जायें तो इस योजना को पूरा करने में अनेक वर्षो का बिलम्ब होगा और अनधिकृत रूप से ज़मीन पर कब्जा करके रहने का कार्य लोग करते चले जायेंग़े तथा समस्या का समाधान और कठिन हो जायेगा ।

मैंने झुग्गी और झौंपड़ी की स्थिति को देखा है । कोई झुग्गी अथवा झौंपड़ी २५ वर्ग गज़ से अधिक नहीं है । मुख्यतः ये १० से १८ वर्ग गज़ के बीच बीच में हैं । अब जो हम कार्यक्रम बना रहे हैं उसके अनुसार हम उन्हें २५ वर्ग गज़का स्थान दे रहेहैं और इसके साथ ही तमाम जीवन की सुविधाओं की भी व्यवस्था कर रहेहैं । अतः यह झुग्गी झोंपड़ी वाले इन विकसित स्थानों पर चले जायें और वहां जाकर अपनी झौपड़ियां बनायें । ऐसा भी समय आ जायेगा कि हमें उन्हें ८० गज़ का स्थान भी दे सकेंगे ।

मैं इस बारे में स्पष्ट घोषणा कर देना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कि जून-जुलाई १९६० की जनगणना के समय झौंपड़ी में था स्थान दिया जायेगा । अगर गलती से कोई नाम रह गया हो तो कोई प्रमाण पत्र देकर उसे सूची में शामिल करवाया जा सकता है । इस मामले में कोई भी साक्षी स्वीकार कर ली जायेगी । हमारा मतलब यह है कि जो लोग सचमुच पटरियों पर थे उनको स्थान दिया जाय। हमने नरेला,रमेशनगर तथा दक्षिणी दिल्ली में ऐसे क्षेत्रों का विकास किया है कि जहां पर कि हम २५ वर्ग गज़ के प्लाट इन लोगों को दे देंगे साथ ही इसका विकास करते रहेंगे और ऐसा समय आ जायेगा जबकि हम ८० गज़ का प्लाट भी दे सकेंगे । कुल २० हज़ार प्लाट

स्वीकृत हुए हैं जिनमें से ५५ सौ प्लाट ८० गज के हैं। इनमें से ४७सौ अलाट किये जा चुके हैं। और अलाट करते जायेंगे। परन्तु खेद है कि इस बारे में आन्दोलन चल रहा है और प्रदर्शन किये जा रहे हैं। मामले को खामखा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इससे इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को कुछ लाभ होने की आशा नहीं।

मैं इस सदन के सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं कि वह इस समस्या को हल करने में हमें अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करें। यह समर्थन मुझे केवल इस संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए ही नहीं चाहिये बल्कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए भी अपेक्षित है। देश का कोई भी नगर हो गन्दी बस्तियां सारे देश पर ही कलंक हैं। यदि इन्हें सुधार दिया जाय और यहां पर रहने वाले लोगों का कष्ट निवारण हो जाये तो मुझे से ज्यादा और कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा। इन शब्दों से मैं यह विधेयक सदन के समक्ष पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम): यद्यपि यह विधेयक दिल्ली के लिए बनाया जा रहा है परन्तु इसका प्रभाव सारे देश पर होगा। इसमें एक सिद्धांत स्वीकार किया जा रहा है जिससे सारे राज्य प्रेरणा लेकर इस मामले में कानून बनाने का यत्न करेंगे। क्योंकि गन्दी बस्तियों की समस्या देश के सब भागों में है। इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु कठिनाई यह है कि इससे अधिक लाभ होने की आशा नहीं। इसे इस प्रकार की होना चाहिए था कि सारे देश में इसका महत्व स्वीकार किया जाता। तथा देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार के विधान के लिए इसे आदर्श माना जाता।

गन्दी बस्तियां तो सारे देश भर में हैं, और इन में वृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रत्येक जगह गन्दी बस्तियों का विकास हो रहा है। और यह फैलती ही जायेंगी, यदि समय पर क्रान्तिकारी कानून बना कर इन्हें रोका न गया। हाल ही में जो कलकत्ते में दंगे हुए उसमें गन्दी बस्तियों का भी हाथ था। बस्तियों के मालिकों ने दंगे को हवादी और आग लगाने का प्रोत्साहन दिया। उनका हित यह था कि इस तरह बस्तियों के लोग इन स्थानों से निकल जायेंगे और उनकी भूमि का मूल्य अथवा किराया बढ़ जायेगा।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि गन्दी बस्तियों के सुधार का प्रथम अवसर मालिकों को दिया जायेगा। परन्तु वे लोग ऐसे हैं कि उनको इस काम में कोई रूचि नहीं है। विधेयक इस मामले में पथ प्रदर्शन करने में असफल रहा है। यह असफल रहेगा। क्योंकि यह बस्तियों के मालिकों की सदभावना पर आश्रित है।

गन्दी बस्तियों का सुधार अलग अलग करके करना सम्भव नहीं उसे बड़े व्यापक आधार पर करना चाहिए। उपयुक्त प्राधिकार जिसका कि विधेयक में उल्लेख है को अधिकार नहीं दिये जा रहे कि वह सारे क्षेत्र का अर्जन कर ले। यह सरकार की कमजोर नीति का द्योतक है।

बस्तियों में रहने वाले जो विरोध कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि उन्हें यह डर है कि उनको बदले में स्थान नहीं दिया जायेगा और उन्हें अपने पहिले स्थान पर पुनः नहीं बसाया जायेगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि किराये न बढ़ने पाए और यह पगड़ी देने की पद्धति की समाप्ति कर दी जाय। इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि गन्दी बस्तियों के लोगों को स्थान नहीं दिया जाये जो कि उनके कारोबार के स्थान के निकट हों।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस विधेयक को एक आदर्श विधान का रूप देना चाहिए । वास्तव में उन्हें इस तरह का विधयक प्रस्तुत करना चाहिए जो कि सारे देश पर लागू हो सके । मेरे विचार में यह विधेयक वैसे भी काफी नहीं होगा । इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्रता के १६ वर्ष के बाद भी हम इस समस्या को हल नहीं कर सके । हम विधेयक का समर्थन करेंगे परन्तु साथ ही सरकार से यह कहेंगे कि उसे इस दिशा में बड़ी शक्ति और तेजी से कार्यवाही करनी होगी ।

Shri Yashpal Singh (**Kairana**) : I welcome this Bill and it should be passed. But at the same time I want to put forward some suggestions before the Government. Government should ensure, however that litigation was not encouraged as a result of the provision of the Bill. As long as the dispute between the tenant and the owner of land or the owner of the building the problem will remain unsolved. I want that the Government should ensure that those who lived in the houses as tenants were declared to be their owners.

In this connection I have this complaint that nothing has been done towards the slum clearance programme in the rural areas. Meaning thereby that the bill ignored the 85% population of the country which lived in the rural areas. I shall urge upon the Government that a bill for the improvement of rural areas should have been brought. The recommendations of the A.K. Sen Committee should also be implemented. For this purpose adequate funds should be asked for from the planning Commission. Today or tomorrow Government will have to do this work.

I have not taken part in any agitation of the demonstration of the Slum dwellers. But I have every sympathy with them. I think the accomodation should be given to every homeless. Big bungalows of the Ministers have ample of surplus land, and that land could be used for the accomodation of the homeless people.

Shri Balmiki : This is a welcome bill and should be passed. I support this bill because it relates to the clearance of slum areas.

The number of slum areas are on the increase Recently, I have been to Calcutta and other parts of West Bengal and there also I felt that this number is increasing. The one reason, which is a very patent reason, is that supervisory machinery of Government which deals with this job, is full of corruption.

Unfortunately, thousands of persons are coming into this country from East Pakistan. So long as our Government is unable to give shelter to homeless persons, the problem of slum clearance will not be solved.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली दुग्ध योजना की दूध संभरण व्यवस्था का भंग होना—जारी

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त अब प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वक्तव्य से मुझे पता चलता है कि भारी वर्षा तथा भैसों के मर जाने के कारण दूध संभरण में सितम्बर १९६३ से कमी हुई। किन्तु इतना होने पर भी मंत्री महोदय इस बात से इंकार करते रहेकि दिल्ली दुग्ध योजना को कोई कठिनाई हो रही है। और ऐसा क्या है कि उपभोक्ताओं को दूध की मात्रा कम करने के बारे में केवल २४ घंटे पहले नोटिस दिया गया। और दूध का दाम क्यों बढ़ाया जा रहा है ?

श्री अ० म० थामस : पछिली बार मार्च में वक्तव्य दिया गया था कि शायद दूध की कमी ना रहे। एकदम भैंस के दूध की कमी हो गई है। ४ अप्रैल को भैंस का दूध प्रतिदिन ३५०० मन आता था और अब केवल २२५० मन आता है। अतः हमें मजबूर होकर यह कमी करनी पड़ी है।

भैंस के दूध के संभरण ६० प्रतिशत घटा दिया गया है, लेकिन इस कमी को हम टोंड दूध देकर पूरा कर रहे हैं, जो बच्चों, स्वास्थ्य आदि के लिए उत्तम है। आजकल हम कुल १३२,९५१ लिटर दूध दे रहे हैं और इसमें ७०,७२३ लिटर दूध टोंड होता है अर्थात, हम लगभग ६० प्रतिशत भैंस का दूध दे रहेहैं। जहां तक दूध की कीमत बढ़ाने का सवाल है, यह मामला काफी समय से सरकार के विचाराधीन था। दूध की कीमत कम होने के कारण, दिल्ली दुग्ध योजना को काफी घाटा हो रहा है। इसे १९५९ में ५.०२ लाख रु०, १९६१–६२ में ४.१६ लाख रु० और १९६२–६३ में १०.६४ लाख रु० की हानि हुई है। इस प्रकार हमें मजबूर होकर दूध की कीमत बढ़ानी पड़ी है। फिर भी, बम्बई आदि की अपेक्षा यह दूध सस्ता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या इस योजना विशेष के कुप्रबंध के कारण ही दूध की उपलब्धि में कमी और कीमतों में वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो क्या कुप्रबंध समाप्त करने के लिए कोई समिति इसकी जांच करने के लिए नियुक्त की जायेगी।

श्री अ० म० थामस : कमी होने का कारण यह नहीं है कि योजना में कुप्रबंध है। इसका कारण यह है कि दूध का उत्पादन कम हो गया है। मैं नहीं समझता कि इस मामले की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने की आवश्यकता है। मेरा यह भी ख्याल है कि देश भर में ही दूध के उत्पादन में कमी हो गयी है। उदाहरणार्थ, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में दूध की कमी हो गयी है।

Shri Kachhavaiya : Whether the Hon. Minister is aware that the Chairman of Delhi Milk Scheme, Shri Sikka was in Calcutta previously and he made that factory suffer a huge loss ? I submit that this all trouble is due to one man. There was an article in Hindustan Times dated the 2nd May, 1964 which included figures of loss. Whether Hon. Minister is aware of this Gentleman ?

श्री अ० म० थामस : मैं समझता हूं कि इस मामले में चेयमेन के आचरण की बात उत्पन्न नहीं होती। मैं यह नहीं कहता कि दिल्ली दुग्ध योजना में सब कुछ ठीक है। उसके खातों में अनियमितताये हो सकती हैं। इन बातों की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

श्री नम्बियार : टोंड दूध की बजाय गाय का दूध दिया जा सकता था और इस प्रकार यह कठिनाई कम हो जाती। फिर, सफेद मक्खन का भी कम प्रयोग होता, जो कि दूध के रूप में दिया जाता है।

श्री अ० म० थॉमस : सफेद मक्खन हमारे पास समाप्त हो गया है । इसीलिए हमें मजबूर होकर हमें संभरण कम करना पड़ा । गाय का दूध हमें बीकानेर से मिलता है । और वह हम दिल्ली में दे रहे हैं । टोंड दूध में चिकनाई केवल ३ प्रतिशत होती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दूध उत्तम है । हम भैंस के दूध की घटी मात्रा के लिए टोंड दूध देने के लिए तैयार हैं ।

Shri Kishan Patnaik (Sambalpur) : Whether it is a fact that one official of Delhi Milk Supply Scheme has in collaboration of milk-suppliers to the scheme, established a dairy in Delhi and this has resulted in shortage of supply ?

श्री अ० म० थॉमस : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है । किसी संबंधित अधिकारी ने डेयरी खोली है या नहीं, इसकी मैं जांच करूंगा ।

Shri Onkar Lal Berwa: (Kotah) : What are the ingredients of toned milk ?

श्री अ० म० थामस : दूध में कमी होने की बात को झूंठा नहीं कहा जा सकता और यही कारण है कि दूध की कीमतें बढ़ गयी हैं । हमें समाचार मिले हैं कि मेरठ में भैंस मरी हैं जहां से हमें दूध मुख्य रूप से प्राप्त होता है ।

श्री बड़े : वक्तव्य में उल्लेख है कि दिल्ली दुग्ध योजना कम कीमत पर दूध देती है । क्या माननीय मंत्री को विदित है कि दिल्ली में अन्य दुग्ध योजनाओं और निजी दूधवालों ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं ? उन्होंने किस आधार पर कहा है कि निजी दूधवालों ने कीमतें बढ़ा दी हैं ?

श्री अ० म० थॉमस : हमें समाचार मिले हैं । पिछले वर्ष से इस वर्ष हम ४ रु० प्रति क्विन्टल अधिक दे रहे हैं । इसी कारण हमें कीमत बढ़ानी पड़ी हैं ।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री नम्बियार : 'फ्री प्रेस जनरल' में हड़ताल के बारे में हमने ध्यान दिलाने की सूचना दी है । हड़ताल को एक महीना से अधिक हो गया । ५०० कर्मचारी बेकार हो गये हैं और उन्हें छटनी होने के नोटिस दिये जा रहे हैं । बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : दुर्भाग्यवश माननीय सदस्य को एक बैठक में भाग लेने के लिए जाना पड़ा । हमसे कुछ सदस्यों ने माननीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें ।

वे श्रमजीवी पत्रकार हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी भावनाओं से श्रम मंत्री जी को अवगत करा दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह काम मैं कर दूंगा । यहां प्रकट किये गये मत और वाद विवाद का यह भाग श्रम मंत्री को भेज दिया जाय, ताकि उन्हें विदित हो जाय कि यहां क्या हुआ है ।

---

*राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
*NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : श्रीमान, मैं स्वयं राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन के ऊंचे स्तर रखने में रूचि रखता हूं। इसके साथ ही मैं इस सभा का ध्यान, राष्ट्रीय परिषद के संचालन के असन्तोषजनक पहलुओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं। प्रश्नों का उत्तर देते हुये माननीय उद्योग मंत्री ने कहा था कि परिषद एक स्वायत्तशासी, संविहित और भारतीय संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध निकाय है और इसलिए वह इसके ब्योरे की बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही असन्तोषजनक उत्तर है। मुझे विश्वास है कि वह इस सभा को इस परिषद के काम के बारे में पूछताछ करने का अधिकार देंगे।

परिषद के संविधान में उपबंधित हैं कि मालिकों, मजदूरों और सरकार के बराबर प्रतिनिधि होंगे। परिषद के संविधान और कार्यक्रम संबंधी पुस्तिका में निम्न बातों का उल्लेख है : उत्पादन आन्दोलन का उद्देश्य यह हो कि उत्पादन बढ़े, किस्म में सुधार हो, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो और मजदूरों की काम करने की हालतें अच्छी हों ; (२) विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में उत्पादन बढ़ने से रोजगार भी बढ़ेगा ; (३) उत्पादन बढ़ने का लाभ पूंजी, मजदूर और उपभोक्ताओं को बराबर बराबर मिलना चाहिए ; (४) आखिर में उत्पादन आन्दोलन राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आरम्भ किया जा सकता है ; और (५) प्रबंधकों और मजदूरों में पूर्ण सहयोग हुए बिना उत्पादन कभी नहीं बढ़ सकता। निश्चय ही ये बहुत अच्छे आदर्श हैं। फिर भी, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से इसके काम में असफल रहने की बात महसूस होती है। इससे जैसी आशा थी, उसके अनुसार इसने एक महान संस्था जैसा काम नहीं किया है। इसमें नौकरशाही की भावना घुस गयी है।

हमारे देश में कृषि का मुख्य स्थान है परन्तु परिषद ने उस क्षेत्र का कार्य आरम्भ करना उचित नहीं समझा है। हम आश्वासन चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में परिषद उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देगी।

राष्ट्रीय उत्पादन परिषद ने हमारे छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। अन्तर्देशीय उत्पादन में क्षेत्र में इतने उद्योगों पर समूचे रूप में इसने कोई प्रभाव नहीं डाला है।

परिषद ने स्थानीय उत्पादन परिषदों के काम में कोई समन्वय नहीं किया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इतने तकनीकी जांच सर्वेक्षणों तथा सूचना के प्रसारण के बारे में कोई काम किया है। इस परिषद ने हमारी अर्थ व्यवस्था के निमित्त खण्डों में कोई ऐसी उत्पादन तकनीक चालू नहीं की है जिसे स्वदेशीय तरीको से सुविधापूर्वक अपनाया जा सके।

इस परिषद का कर्मचारियों पर खर्च बहुत अधिक होता है। इसके कर्मचारियों की संख्या बहुत है और उनसे कम काम लिया जाता है।

जहां तक प्रशिक्षण कार्य का संबंध है, उम्मीदवारों के चुनने में कोई अवैयक्तिक सिद्धांत नहीं अपनाये गये हैं। सरकार इस बात का आश्वासन दे कि कर्मचारियों को चुनने में परिषद् को विदेशी मुद्रा का व्यर्थ ही व्यय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही दूसरे देशों से लिए गये ऋण आदि को बेकार खर्च किया जायेगा।

*आधे घंटे की चर्चा

*Half-an-hour discussion.

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी]

सभा यह जानना चाहती है कि क्या राष्ट्रीय छात्रसेना दल में शिक्षित कर्मचारियों की सेवायें प्रयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है, क्योंकि इस क्षेत्र में परिषद् संविधान में विहित अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही है।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): अध्यक्ष महोदय, डा० सिंधवी ने उत्पादिता आन्दोलन के पहलुओं का ठीक से निरूपण किया है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उत्पादिता तकनीक अन्य तकनीकों से भिन्न हैं।

समस्या का निचोड़ यह है कि हमें देश में उत्पादन की तकनीक में प्रवीण व्यक्ति बड़ी संख्या में उपलब्ध होने चाहिएं। परिषद् की स्थापना के समय इसका एक उद्देश्य यह था कि उत्पादिता संबंधी बात को लोकप्रिय बनाया जाय और मैं समझता हूं कि इसमें यह सफल रही है। आरम्भ में राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् और स्थानीय उत्पादन परिषदें अधिक सफल नहीं हो सकती लेकिन आखिरकार वे अपने खर्च का काफी भाग स्वयं उठा सकेंगी। इसमें वे सफल रही हैं।

डा० सिंधवी ने कहा है कि स्थानीय परिषदों के काम में समन्वय नहीं है। परन्तु मैं इसे इस प्रकार कहूंगा कि यह ज्यादा हो सकता था। इसका कारण यह है कि अधिकतर स्थानीय परिषदों को विशेष कर्मचारी, अर्थात प्रशिक्षित कर्मचारी, उपलब्ध नहीं हो सके। विदेशों में ऐसा प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों और अन्य तकनीकी संस्थाओं में दिया जाता है। मैं समझता हूं यह हमारे देश में भी यथासमय उपलब्ध हो जायेगा। इसी कारण स्थानीय परिषदों के काम में कुछ ढील रही है और रहेगी।

डा० सिंधवी ने कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् के कर्मचारियों से कम काम लेने की बात कही है। स्वाभाविक है कि आरम्भ में उनकी मांग कम थी। परन्तु उद्योगों से स्थानीय परिषदों के पास जो प्रार्थनायें आती हैं, उनके अनुसार अब इनकी संख्या बहुत कम है। उत्पादिता तकनीक संयंत्रवार होती है—वह चाहे छोटा हो या बड़ा। इसे संयंत्र की आवश्यकता का ध्यान अवश्य रखना है। अर्थात्, व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि उसे इससे लाभ होगा। अब मांग को देखते हुए, प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।

विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए परिषद् ने गत एक वर्ष से प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया है। इस एक वर्ष में ६१४ प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत १७,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यद्यपि भारत जैसे विशाल देश के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है, किन्तु प्रशिक्षण की अवधि को देखते हुए यह प्रगति काफी सराहनीय है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें योग्य प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। यह सराहनीय बात है कि नियोजकों ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देकर काफी सहयोग दिया है।

अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए हमारा विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर रहना अनिवार्य है। सदस्यों का यह आरोप निराधार है कि प्रशिक्षण के लिए चुनाव करने में पक्षपात किया गया है। चुनाव के लिए एक कसौटी निश्चित की गई है । जो व्यक्ति इस कसौटी के अन्दर आते ह उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुन लिया जाता है। चुनाव बोर्ड में ८ संसद सदस्य भी हैं इनमें से दो सरकार का प्रतिनिधित्व करते है और छः सदस्य श्रमिकों अथवा नियोजकों से सम्बद्ध होने के कारण बोर्ड के सदस्य हैं। इसलिए इसमें पक्षपात होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। फिर भी इस संबंध में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद से पूछा जायेगा, यद्यपि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है, किन्तु सरकार इसके कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

मैं इस बात को मानता हूं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में परिषद् अधिक कार्य नहीं कर सकी। इस संबंध में काफी गवेषणा कार्य करना पड़ेगा तथा इसमें काफी समय लगेगा ।

परिषद् द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को पर्याप्त औद्योगिक तथा प्रशिक्षण सेवायें उपलब्ध की गईं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि छोटे पैमाने के उद्योग बड़ी संख्या में परिषद् के सदस्य हैं। भविष्य में परिषद की सेवाओं का और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता होगी। अतः परिषद् को इन सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं इस चर्चा को भविष्य में फिर कभी उठाऊंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : हम इसे आगामी सत्र में उटायेंगे।

सभा का स्थगन
ADJOURNMENT OF HOUSE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने इस सत्र के दौरान जो सहयोग मुझे दिया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अपने कर्त्तव्य का पालन करने में मैं प्रायः बहुत से माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, परन्तु मैं उनका इस बात के लिये आभारी हूं कि वे इस बात को सदन से बाहर जाकर भूल जाते हैं।

मेरी यह शुभ कामना है कि उनका यह विश्राम का समय सुखमय व्यतीत हो।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): हमारी भी आपके प्रति यही शभकामनायें हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर): हम भी आपके बहुत अधिक आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस दीर्घकालीन सत्र के पश्चात अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थागत हुई ।

The Lok Sabha then adjourned *sine die.*